Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018 ISSN No. 2395-6941
Article ID # 30012018 Website: http://www.umrjournal.com/
Peer–Review Refereed Research Journal

बाल मजदूरी अधिनियम और पर्दे की दुनिया

डॉ. सुरेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक
राजकीय महाविद्यालय,
सैक्टर 9 गुरुग्राम

किसी भी देश के बच्चे उस देश का भविष्य होते हैं। यदि आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा, आहार और शांतिपूर्ण वातावरण प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उस देश का भविष्य सुरक्षित है। परंतु यदि छोटे–छोटे बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर, ट्रेनों में, बसों में, गलियों, सड़कों पर भीख मांग रहे हैं तो उस देश के भविष्य के लिए चिंता व्यक्त करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त बहुत से बच्चे कम उम्र में ही अपने घर–परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर मजदूरी करना आरम्भ कर देते हैं। उनके माता–पिता स्वयं उन्हें ढाबों, घरों, दुकानों पर थोड़े से पैसों के बदले काम पर लगा देते हैं। यह उनके नन्हे बचपन का गला घोंटने के समान ही है। जिस आयु में उन्हें साइकिल, किताबें मिलनी चाहिए थी उस उम्र में उन्हें बर्तन धोने, खाना बनाने, जूता पॉलिश करने का सामान मिलता है।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश का कानून इस शोषण के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं देता। बाल मजदूरी अधिनियम, 1986 के अनुसार कुछ कार्यों को छोड़कर 14 साल से कम आयु के बच्चों से पारिश्रमिक कार्य नहीं करवाया जा सकता। इस अधिनियम में बाल कलाकार को छूट दी गई। अपने स्कूल के बाद अथवा छुट्टियों के दौरान कोई बच्चा एक बाल कलाकार के रूप में कार्य कर सकता है।

भारत में दादा साहेब फाल्के ने जब पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' बनाई थी तब बाल कलाकार के रूप में अपने बेटे से अभिनय करवाया था। इसके बाद भी अनेक फिल्मों में बाल कलाकारों को काम दिया गया। फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दो महीने के नवजात बच्चे से लेकर 12–13 साल के बच्चे को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के मुख्य अभिनेता के बचपन को प्रदर्शित करने के लिए बाल कलाकारों का ही सहयोग लिया जाता है। ऐसी फिल्में दर्शकों द्वारा भी बहुत पसंद की गई हैं। दादा साहेब फाल्के, वी शांताराम, राजकपूर, यश चोपड़ा, अनुराग कश्यप, आमिर खान सहित सभी बड़े फिल्मकारों ने बाल जीवन

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

को रूपहले पर्दे पर अंकित करने का सफल प्रयास किया है। इसी प्रकार छोटे पर्दे पर भी अनेक धारावाहिक, रिएलिटी शोज में बच्चों को प्रदर्शित किया गया है। बालवीर, इना मीना डीका, गंगा, बालिका वधू, उड़ान, परमावतार श्री कृष्ण जैसे धारावाहिक छोटे पर्दे पर दिखाए जाते रहे हैं और आज भी दिखाए जा रहे हैं।

इन धारावाहिकों में बाल कलाकारों से अभिनय करवाया जाता है जो कानूनी तौर पर सही हो सकता है परंतु सामाजिक और मानवीय मूल्यों को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में एंड टीवी पर प्रसारित धारावाहिक 'परमावतार श्री कृष्ण' का अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा मूल्यांकन किया गया है। इस शोध पत्र के लिए परमावतार श्रीकृष्ण धारावाहिक की तीन कड़ियों (एपिशोड) 147, 148 एवं 149 का चयन किया गया है। इन तीनों कड़ियों के प्रत्येक शॉट का अध्ययन किया गया है तथा यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि धारावाहिक में बाल कलाकारों का किस प्रकार से किस प्रकार शारीरिक परिश्रम करवाकर उनका शोषण किया गया है।

एपिशोड संख्या	कुल शॉट्स जिनमें बच्चों को दिखाया गया है	बच्चों का शोषण करने वाले शॉट्स	प्रतिशतता
एपिशोड 147	41	33	80.4
एपिशोड 148	41	30	73.1
एपिशोड 149	44	31	70.4

विश्लेषण : परमावतार श्री कृष्ण धारावाहिक जी एंटरटेंमेंट एंटरप्राइज द्वारा निर्मित भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारातिक धारावाहिक जिसका प्रसारण एंड टीवी पर 19 जून 2017 से लगातार जारी है। वर्तमान में यह धारावाहिक महिलाओं और बच्चों में काफी लोकप्रिय है। इस धारावाहिक के तीन एपिशोड का अध्ययन करने पर पाया गया है कि एपिशोड 147 में कुल 41 शॉट्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों को दिखाया गया है। इसी प्रकार एपिशोड 148 में कुल 41 शॉट्स में बच्चों को दिखाया गया है। एपिशोड 149 के 44 शॉट्स में बच्चों को प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन द्वारा यह भी प्राप्त हुआ है कि एपिशोड 147 के 33 शॉट्स में बच्चों का

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

शोषण हुआ है। इसी प्रकार एपिशोड 148 में 30 शॉट्स में बच्चों का शोषण हुआ है। एपिशोड 149 में भी 31 शॉट्स में बच्चों का शोषण है।

परमावतार श्री कृष्ण के पहले ही शॉट् में बाल रूप कृष्ण को बांधे हुए दिखाया गया है। इसके बाद धारावाहिक में दिखाया गया है कि कृष्ण और उसके बाल सखा खेतों में कार्य कर रहे हैं। इन सखाओ में राधा का अभिनय करने वाली एक छोटी सी बच्ची भी है जिसकी आयु मुश्किल से 4 वर्ष होगी। यह सब शूटिंग धूप में की गई है। इसके साथ ही बलराम और कुछ लड़कियों को एक बड़े गढ्डे में फंसे हुए दिखाया गया है। वह सभी एक रस्सी के सहारे गढ्डे से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। बलराम के पैरों में कोई भी चप्पल या जूती नहीं है। कड़ी धूप, पथरीली और कांटेदार जमीन पर यह शूटिंग चल रही है। यह भी बच्चों का शोषण ही है।

एक एपिशोड में जब कालिया नाग जमुना में प्रवेश कर जाता है तो एक लड़की को चक्कर खाकर गिरते हुए दिखाया गया है। 3 चार साल की यह लड़की जमुना का अभिनय कर रही है। जमुना पर जहर का असर दिखाने के लिए उसके चेहरे को छोड़कर सारे शरीर को नीला दिखाया गया है। जब इस नीले रंग के मेकअप को लगाया गया होगा तक भी इस बच्ची को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। इसी प्रकार कैमरे के साामने अभिनय करते हुए भी इसे परेशानी का अनुभव हुआ होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परमावतार श्री कृष्ण की शूटिंग के दौरान बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। इसके अतिरिक्त 19 जून से लगातार जारी इस धारावाहिक को सप्ताह में 5 दिन प्रदर्शित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसकी शूटिंग भी लगातार चल रही होगी। इससे यह संभव है कि यह बच्चे दिन रात शूटिंग के कार्य में व्यस्त रहते होंगे जिससे इनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा।

यह सही है कि एक बाल कलाकार से काम लेना बाल श्रम कानून के अनुसार गैर कानूनी नहीं है परंतु यदि मानव अधिकारों के अनुसार देखा जाए तो यह सरासल गलत कहा जा सकता है। सरकार एवं कानून द्वारा धारावाहिक, फिल्मों के निर्माण के दौरान बच्चों से लिए जाने वाले कार्य पर नजर रखने की जरूरत है ताकि मासूम बचपन पर्दे की दुनिया की चकाचौंध में बिखरकर अपनी मासूमियत ना खो दे।

संदर्भ : Retrieved from http://www.ozee.com/shows/paramavatar-shri-krishna

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=vbL6JkYqKJQ

Retrieved from https://https://www.youtube.com/watch?v=3YiF0yJlPVw&t=2s

Retrieved from https://https://https://www.youtube.com/watch?v=cAgpZ9veKaI&t=59s

Retrieved from https://https://en.wikipedia.org/wiki/Paramavatar_Shri_Krishna

Retrieved from https://pencil.gov.in/child%20labour%20compressed.pdf

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 31012018
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

ग्रामीण जनजातिय क्षेत्र में कृषि की आधुनिक तकनीकी के उपयोग एवं व्यय की स्थिति (बड़वानी जिले के विषेष संदर्भ में)

डॉ. सखाराम मुजाल्दे, वरिष्ठ व्याख्याता,

अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विष्वविद्यालय, इंदौर (म प्र)

प्रस्तावनाः पारम्परिक कृषि अधिकांषतः देषीय आदानों पर निर्भर करती है। इसमें कार्बनिक खादों, साधारण हलो एवं अन्य आदिकालीन कृषि औजारों, बैलों आदि का प्रयोग होता है। इसके विपरित आधुनिक तकनीकी में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाषको, बीजों की उन्नत किस्मों, कृषि मषीनरी, विस्तृत सिंचाई, डीजल और विद्युत शक्ति आदि का प्रयोग सम्मिलित है।1966 के पश्चात् आधुनिक कृषि आदानों के प्रयोग में 10 प्रतिषत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से उन्नति हुई है और इसकी तुलना में इसी काल के दौरान पारम्परिक आदानों का प्रयोग केवल 1 प्रतिषत प्रतिवर्ष बढ़ा है। नयी कृषि तकनीकी ऐसे संसाधनों अर्थात उर्वरकों, कीटनाषकों, कृषि मषीनरी आदि पर आधारित है जो कृषि क्षेत्र के बाहर उत्पन्न किये जाते हैं। इसके परिणामस्वरुप आधुनिक फार्म आदानों के उत्पादन करने वाले उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है।

फार्म यन्त्रीकरण और सिंचाई के महान कार्यक्रमों के फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत और ड़ीजल के उपभोग में वृद्धि हुई। भारत में कृषि उपकरणों एवं यंत्रों के निर्माण हेतु ष्कृषि यंत्र एवं उपकरण मंड़लष की स्थापना की गई। आज भी भारत अन्य देषों की तुलना में कृषि यंत्रो के उपयोग किये जाने में बहुत पीछे है तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जब भूमि के पुर्नरुद्धार की आवष्यकता पड़ी तब ट्रेक्टरों का अधिकतम प्रयोग किया गया। हरित क्रांति प्रारंभ होने से कृषि के क्षेत्र में व्यवसायीकरण की प्रक्रिया लागू हो गई है। बड़े वर्ग के कृषक उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खाद,

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ट्रेक्टर, पम्प सेट, ट्यूबवेल आदि का प्रयोग करने लगे हैं। भारत में कृषि सम्बन्धित यंत्रों की माँग धीरे–धीरे बढ़ने की वजह से विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब देश को विकास की आवश्यकता महसूस हुई तो योजनाबद्ध विकास मॉडल में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। कृषि अनुसन्धान से सम्बन्धित संस्थानों मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और विभिन्न क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई। जिला मुख्यालय से लेकर गाँवो तक आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार के लिए कृषि विभाग ने अपने विस्तार कार्यक्रमों और फार्म प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि तकनीकी का प्रचार–प्रसार किया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि नगरों में परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जितनी तीव्र द्रुतगामी होती है, उतनी ग्रामीण क्षेत्रों में नही होती है।

यही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार के साथ भी हुआ। हरित क्रान्ति का प्रभाव नगरों से लगे हुए गाँवो विशेषकर जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध थी, शिक्षा का उच्च स्तर था एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न क्षेत्रों में हुआ, परन्तु दूर–दराज के अंचलो में नहीं हो पाया। आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, जिनमें परम्परागत कृषि तकनीकी और तौर–तरीको से कृषि कार्य किये जा रहे हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ता है, परिणाम स्वरूप कृषि से जो उत्पादन होता है, वह सभी के लिए पर्याप्त नही होता है। कृषि योग्य भूमि सीमित है, ऐसी दशा में दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विपुल उत्पादन हेतु कृषि की आधुनिक उन्नत तकनीकी पहुँचाना जरूरी हो जाता है। इन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार में अनेक समस्याएँ है। इन समस्याओं के बावजूद शासकीय प्रयासों के परिणामस्वरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकी का अंगीकरण करना ही पड़ता है। अतः ऐसी दशा में लोग अपने परम्परागत कृषि के तरीके छोड़ना नही चाहते है, साथ ही आधुनिक कृषि के तरीके अपनाना भी चाहते हैं। ऐसे क्षेत्रो में दोनों ही तरह की कृषि तकनीको का संयोजन देखने को मिलता है। कृषि व्यवसाय में हरित क्रांति आधुनिकीकरण का प्रतीक है। ये परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप हो रहे हैं।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

2. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एवं समीक्षा –: भारत जातियों प्रजातियों का विश्व में एक मात्र ऐसा निवास स्थल है। जहाँ विश्व के सभी भागों से विभिन्न जातियाँ प्रजातियाँ आयी और आकर भारत की 'शस्य शामला' भूमि में विलिन हो गई। अर्थात भारत के जातिय प्रजातिय सागर में नदियों की भांति मिल गई और अपना मूल अस्तित्व तो खो बैठी, लेकिन अपनी किसी एक पहचान विशेष के कारण आज जानी पहचानी जाती है। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था की ओर नजर डाले तो हम पाते है की ये पूर्ण रुप से प्रकृती प्रदत्त संसाधनों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। षुरुआती समय में जनजातिय लोग वन एवं वनों से प्राप्त गोंद, कंद, जड़–मूल एवं षिकार से प्राप्त मांस पर निर्भर थे। धिरे– धिरे बढ़ती जनसंख्या एवं विकास के दबाव ने इनकी अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव किया जैसे जहाँ ये जनजातिया स्थांतरित कृषि (झूम खेती) करते थे वहाँ से स्थायी खेती करने लगे। नियोजन के पष्चात् जिन वनों पर ये अपना अधिकार मानते थे उसे भी षासन ने वन अधिनियम लाकर अपने नियंत्रण में ले लिया तथा स्थायी खेती करना इनकी मजबूरी हो गयी। इन जनजातियों के कृषि एवं कृषि की आधुनिक तकनीकी के अपनाने संबंधित विभिन्न षोध का अध्ययन किया जो कि इस प्रकार है–

ए. वैद्यनाथन (2012) ने अपने हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया कि फसलों के कुल उत्पादन में 1970 के दशक के पूर्वार्द्ध से लेकर 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध तक जो वृद्धि हुई है उसमें तीन चौथाई वृद्धि का कारण सिंचित क्षेत्र में प्रसार तथा सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि था। इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में काफी वृद्धि की जा सकती है।[1] **भारत सरकार, (2011–12)** ने भारत सरकार कृषि की रिपोर्ट 2011–12 के अनुसार 2000–01 से 2010–11 की अवधि में कृषि संवृद्धि का विचरण गुणांक 1.6 हो गया जबकि 1992–93 से 1999–2000 की अवधि में यह गुणांक 1.1 था। देश के सकल घरेलू उत्पादन में विचरण गुणांक की तुलना में यह न केवल घरेलू छः गुणा है बल्कि समय के साथ इसमें वृद्धि भी हुई है।[2]

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अनुसार कृषि से सकल घरेलू उत्पादन की संवृद्धि दर जो 1981–82 से 1996–97 के बीच 3.5 प्रतिशत वर्ष थी, वह वर्ष 1997–98 से 2004–05 के बीच मात्र 2.0 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई। जैसाकि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कहा गया है, हालांकि यह प्रवृत्ति कुछ क्षेत्रों में अधिक देखी गई परंतु यह व्यापक पैमाने पर थी तथा लगभग सभी राज्यों तथा कृषि के सभी उप क्षेत्रों में देखी गई (यहाँ तक कि बागवानी, पशुधन मछली पालन में भी जिनमें अधिक

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

संवृद्धि होने की अपेक्षा थी।) इसके परिणामस्वरूप, कृषि से सकल घरेलू उत्पादन की संवृद्धि दर, नौवीं एवं दसवीं योजनाओं में लक्षित 4.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की संवृद्धि दर की तुलना में बहुत कम रही।[3]

भारत सरकार (2011) सरकार की आर्थिक समीक्षा 2011–12 में कहा गया है बिना उत्पादकता में और वृद्धि किए तथा विभिन्न क्षेत्रों में बिना प्रौद्योगिकी प्रसार किए यह उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करना संभव नही होगा। और 121 करोड़ लोगों की खाद्यान्नों के लिए बढ़ती हुई माँग के प्ररिपेक्ष्य में इसके समष्टि आर्थिक स्थायित्व के लिए गंभीर परिणाम होंगे। समावेशीय संवृद्धी के लिए गरीबी के स्तरों में गिरावट के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तथा कृषि क्षेत्र की आय में वृद्धि के लिए एक न्यूनतम कृषि संवृद्धि दर प्राप्त करना आवश्यक है।[4] **जी. एस. भल्ला एवं गुरमेल सिंह (2009)** के अनुसार हरित क्रांति के आधार काल में इससे लाभ उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों को ही प्राप्त हुआ।

परन्तु धीरे–धीरे नई प्रौद्योगिकी का लाभ चावल तथा कुछ अन्य फसलों को भी मिला तथा हरित क्रांति का प्रभाव 2003–2006 तक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरों के बावजूद भारत के अधिकतर राज्य नई प्रौद्योगिकी से लाभान्वित होने में सफल रहे। नई फसल के गहन तथा व्यापक प्रयोग से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।[5] **मुकेश ईषवरण, अषोक कोटवाल, भारत रामास्वामी एवं वीलिमा वाधवा (2009)** ने हाल ही में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में पाया है कि अखिल भारतीय स्तर पर 1983 से 2004–05 के बीच औसत साप्ताहिक मजदूरी में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका अर्थ है 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई 1999 से 2004 के बीच पाँच वर्षो में तो साप्ताहिक मजदूरी दर में वृद्धि मात्र 0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष रही।[6]

भारत सरकार एग्रीकल्चरल एट ग्लांस (2008) में सुधार अवधि में उर्वरक, बिजली तथा सिंचाई आदि पर मिलने वाली आर्थिक सहायता शामिल है, जो वर्तमान में काफी बढ़ गई है। यह आर्थिक सहायता 1993–94 में 14.069 करोड़ रूपए से बढ़कर 1990–2000 में 43,025 करोड़ रूपए हो गई (1993–94 के आधार मूल्य के अनुसार) 1999–2000 के आधार मूल्य के अनुसार आर्थिक सहायता 2000–01 में 50. 771 करोड़ रूपए हो गई। आर्थिक सहायता में इस वृद्धि से सरकार का चालू व्यय बढ़ गया, जिससे कृषि में सार्वजनिक निवेष के लिए साधन कम रह गए। अर्थात् ग्रामीण आधारित संरचना के निर्माण पर सार्वजनिक निवेष कम रह गया। अनुमान है कि आर्थिक सहायता में 20 प्रतिशत की गिरावट से सरकार कृषि में अपना निवेष दुगुना कर सकती थी।[7] **भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2008)** आर्थिक समीक्षा 2007–08 में एक अन्य गंभीर तथ्य की ओर ध्यान खींचा गया है और यह खाद्यान्नों के उत्पादन में औसतन 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है इसके परिणामस्वरूप, देश खाद्यान्नों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। परन्तु

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

1990–2007 के बीच खाद्यान्न उत्पादन की संवृद्धि दर मात्र 1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई जो इसी अवधि में जनसंख्या वृद्धि की 1.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से कम थी। इसलिए इस अवधि में अनाज तथा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में गिरावट आई।[8] **पुलप्रे बालकृष्ण, रमेष गुलाटी एवं पंकज कुमार (2008)** के अनुसार उत्पादकता में संवृद्धि की बात करे तो इसमें 1990 के दशक के दौरान कमी हुई परन्तु उसके बाद 2000–01 से 2010–11 के दशक के दौरान की अवधि में वृद्धि हुई चाहे खाद्यान्नों की बात करे या फिर सभी फसलों की इसका अर्थ यह है कि आर्थिक सुधारों की अवधि को एक तरह का विभाजक काल माना जा सकता है जिसके दौरान भारतीय कृषि में संवृद्धि जो 1960 के मध्य से लगातार बढ़ रही थी, अवरूद्ध हो गई।[9]

3.शोध के उद्देश्य –:

1. ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र के कुषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

2. ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र के कुषकों की आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।

2. ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकी के उपयोग के पष्चात् कृषकों की आय, व्यय एवं बचत की स्थिति का अध्ययन करना।

3. ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाने हेतु वित्तिय स्रोतों का अध्ययन करना।

4.शोध विधि –:

4.1 समंको का संकलन –: शोध हेतु उपयोग किये जाने वाले समंक दो प्रकार के होते है, जिनमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। इन समंको के संकलन की अलग–अलग विधि होती है जो इस प्रकार है –:

अद्ध प्राथमिक समंक ;च्तपउंतल कंजंद्ध **–:** प्राथमिक समंक वे समंक होते है जिन्हें शोधकर्ता अपने शोध कार्य को पूरा करने के लिये शोध क्षेत्र से पहली बार संकलित करता है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक समंको का साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से किया गया है। अतः प्राथमिक समंको का संकलन ग्रामीण कृषकों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची भरकर, समूह चर्चा एवं अवलोकन द्वारा किया गया है।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

(प)**निदर्षन –:** समंको के संकलन की विभिन्न विधियों में से निदर्षन विधि का उपयोग किया गया है। इस प्रकार अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र बड़वानी जिले की दो–दो तहसीलों का चयन निदर्षन विधि से किया गया है। तहसीलों के चयन के पष्चात् इन तहसीलों से प्रत्येक तहसील से 5–5 गाँवो का चयन भी निदर्षन विधि से किया गया। गाँवो के चयन के पष्चात् प्रत्येक चयनित गाँव से 20–20 कृषकों का चयन अध्ययन हेतु किया गया, इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 400 कृषक उत्तरदाताओं का चयन किया गया। जिनसे साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से प्राथमिक समंको का संकलन कर उनके उचित विष्लेषण से तय उद्देष्यों को पाने का प्रयास किया गया है।

(पप) **साक्षात्कार अनुसूची –:** अध्ययन हेतु प्राथमिक समंको को संकलित करने हेतु बनायी गयी साक्षात्कार अनुसूची को सात भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें प्रथम भाग में कृषकों की सामान्य जानकरी से सम्बन्धित तथ्यों को रखा गया है, एवं द्वितीय स्थान पर कृषकों की व्यवसायिक एवं भूमि सम्बन्धित तथ्यों को रखा गया है। साक्षात्कार अनुसूची के तृतीय एवं चतुर्थ भाग में कृषि तकनीकी एवं उन्नत बीज, रासायनिक कीटनाषकों एवं उर्वरकों के उपयोग सम्बन्धित तथ्यों को रखा गया। पंचम एवं षष्ठम भाग में आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने के पष्चात् उत्पादन एवं कृषि उत्पादन के विपणन सम्बन्धित तथ्यों को रखा गया है। तत्पष्चात् अन्तिम भाग सप्तम में आधुनिक कृषि तकनीकी का सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों को रखा गया है। इस प्रकार साक्षात्कार अनुसूची में तय उद्देष्यों को प्राप्त करने सम्बन्धित समस्त तथ्यों को शामिल किया गया है।

बद्ध द्वितीयक समंक (Secondary Data) **&%** द्वितीयक समंक वे समंक होते है कि किसी अन्य शोधकर्ता एवं संस्था द्वारा अपने अध्ययन हेतु संकलित किये जाते हैं, उन्हें अन्य शोधार्थी अपने शोधकार्य में उपयोग करता है तो यह समंक उस शोधार्थी के लिये द्वितीयक समंक हुए। द्वितीयक समंको का संकलन शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों, सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, जिला सांख्यिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, कृषि मंत्रालय (भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट से लिये गये हैं।

5. ग्रामीण कृषकों का आयु संरचना के आधार पर विष्लेषण –: किसी भी समाज में व्यक्ति की स्थिति एवं भूमिका के निर्धारण में आयु वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आयु के आधार पर ही किसी समुदाय,

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

संस्था या समाज के सदस्यों को भिन्न–भिन्न वर्गो में बाँटा जाता है। आयु व्यक्ति के शारिरिक एवं मानसिक स्थिति तथा व्यक्तित्व को निर्धारित एवं प्रभावित करती है। व्यक्ति एक निश्चित आयु के पष्चात् ही विवाह, व्यवसाय, उत्तरदायित्व का निर्वहन, सामाजिक सम्बन्ध एवं आर्थिक दशाओं से अनुकूल करता है। अतः आयु का सामाजिक–संरचना में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत शोध हेतु संकलित प्राथमिक समंको के प्रथम भाग में ग्रामीण जनजातिय कृषकों की आयु के सम्बन्ध में तथ्य संकलित किये है। उन्हें अग्र तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है –:

तालिका क्रमांक – 1 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

आयु वर्ग	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
30 से कम	73	18.25
30 – 35	55	13.75
35 – 40	124	31.0
40 – 45	58	14.5
45 से अधिक	90	22.5
योग	**400**	**100.0**
औसत आयु	**40 वर्ष**	**–**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 1 में ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर आधुनिक कृषि तकनिकी का प्रभाव के अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंको को परिवार के मुखिया की आयु के आधार पर विश्लेषित किया गया है समंको के विष्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण जनजातीय कृषकों में सर्वाधिक 31.00 प्रतिशत वे कृषक परिवार है, जिनके मुखिया आयु की 35 – 40 वर्ष है एवं द्वितीय स्थान पर 22.5 प्रतिषत परिवारों के मुखिया 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के है। इसी प्रकार 30 से कम वर्ष की आयु वर्ग के मुखिया वाले परिवारों की संख्या 18.25 एवं 40 – 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मुखिया वाले परिवार 14.5 प्रतिषत है। अतः विष्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि सर्वेक्षित कृषकों में सर्वाधिक 35 – 40

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

वर्ष के आयु वर्ग के मुखिया परिवार अधिक है। अथवा यहाँ यह सही है कि आयु किसी व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण चर है, सामाजिक एवं आर्थिक जवाबदेही का एवं सर्वेक्षण में 35 – 40 वर्ष के कृषक अधिक है।

6. शिक्षा के स्तर के आधार पर विष्लेषण –: समाज चाहे कैसा भी हो, शिक्षा का महत्व तो होता ही है, चाहे वह विकासशील समाज हो, चाहे विकसित समाज हो या अन्य समाज हो। शिक्षा विकास की गति निर्धारित करती है एवं समाज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाती है। **यादव (1994)** के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है, जो उसके व्यवसायिक जीवन के चयन में सहयोग प्रदान करती है।[10] शिक्षित व्यक्ति समाज एवं परिवार के महत्व के साथ उनके प्रति अपने दायित्व को अच्छी तरह समझता है और उनका निर्वहन भली–भाँति करता है। शिक्षित व्यक्ति परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं से हटकर चयन की कुशलता प्राप्त करता है। साथ ही वह अन्य व्यवसायों से सम्बन्धित कुशलता के संदर्भ में भी ज्ञान प्राप्त करता है और उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त करने में सफल होता है। जिन क्षेत्रो में लोग पढ़े–लिखे होते है, उनकी सोच, कार्यप्रणाली, रहन–सहन के तरीके तथा व्यवसायिक–संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अपनाने में कतराते नहीं है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति प्राचीन रूढ़िवादिता के कारण नवीन परिवर्तन को अंगीकार करने से कतराते हैं।[57] देश एवं समाज का सर्वांगीण विकास इस तरह संभव नही हो सकता है। यह तभी संभव होगा जब सभी क्षेत्रों और समुदायों का विकास होगा। ग्रामीण जानजातिय कृषक परिवारों के षिक्षा के सम्बन्ध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें अग्र तालिका क्रमांक 2 में दर्शाया गया है –:

तालिका क्रमांक –2 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों का षिक्षा के स्तर के आधार पर विष्लेषण

षिक्षा का स्तर	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
अषिक्षित	192	48.0
साक्षर	66	16.5
कक्षा 5 वीं से 8 वी तक	73	18.25
कक्षा 9 वीं से 12 वी तक	47	11.75
कक्षा 12 वीं से अधिक	22	5.5
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

तालिका क्रमांक 2 में ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों को मुखिया के शैक्षणिक स्तर के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषित किया गया तो यह पाया कि ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों में सर्वाधिक संख्या (48. प्रतिषत) उन परिवारों की है, जिनके मुखिया पूर्णतः अशिक्षित है। जिन परिवारों के मुखिया का शैक्षणिक स्तर केवल साक्षर है, उन ग्रामीण जनजातिय कृषकों की संख्या 16.5 प्रतिषत है। इसी प्रकार जिन ग्रामीण जनजातिय कृषकों के मुखिया कक्षा 5वीं से 12वीं कक्षा तक षिक्षित है, वे परिवार 30 प्रतिषत हैं। कक्षा 12वीं से अधिक षिक्षित मुखिया वाले परिवार 5.5 प्रतिषत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों के मुखिया पूर्णरुप से अषिक्षित है। अषिक्षित मुखिया वाले परिवारों की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि ग्रामीण जनजातिय क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार निवास करते हैं। जिनमें सामान्यतः षिक्षा का स्तर बहुत कम है।

7. ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों का पारिवारिक संरचना के आधार पर विष्लेषण –: परिवार मानवीय समाज की आधारभूत इकाई है। जिसमें समाज का उद्‌भव होता है, क्योंकि परिवारों का समूह ही समाज है। इसलिए परिवार में बच्चों की उत्पत्ति, विकास और समाजीकरण के उत्तरदायित्व का वहन होता है।[11] समाज में परिवार एकांकी एवं संयुक्त दो प्रकृति के पाये जाते हैं। एकांकी परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार जिसमें माता–पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं जबकि संयुक्त परिवार में माता–पिता के साथ विवाहित बच्चों से लेकर दो–तीन या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। ग्रामीण जाजातिय समाज में संयुक्त परिवारों की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बच्चा विवाह योग्य हुआ कि विवाह करके परिवार से अलग कर दिया जाता है या वह स्वयं ही परिवार से अलग रहने लगता है। ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों के पारिवारिक संरचना के सम्बन्ध में जो तथ्य प्राप्त हुए है उन्हें अग्र तालिका क्रमांक 3 में दर्शाया गया है –:

तालिका क्रमांक – 3 – ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों का पारिवारिक संरचना के आधार पर विष्लेषण

परिवार का स्वरुप	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
संयुक्त	273	68.25
एकांकी	127	31.75
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

तालिका क्रमांक 3 में ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों को उनकी पारिवारिक संरचना के आधार पर विष्लेषित किया गया है तो यह पाया कि ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों में सर्वाधिक (68.25 प्रतिषत) है, जो की संयुक्त परिवार है। इसी प्रकार एकांकी परिवार वाले परिवारों की संख्या भी 31.75 प्रतिशत है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों में सर्वाधिक संयुक्त परिवार वाले परिवारों की संख्या सर्वाधिक है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र संयुक्त परिवार वाले परिवारों की संख्या अधिक पायी जाती है।

8.ग्रामीण जनजातिय कृषकों का भूमि के स्वामित्व के आधार पर विष्लेषण –: ग्रामीण जनजातिय कृषक को उनके कुल कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका क्रमांक 4 में दर्षाया गया है

तालिका क्रमांक 4 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों की भूमि के स्वामित्व के आधार पर विष्लेषण

कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
3 एकड़ से कम	62	15.5
3 – 5 एकड़	91	22.75
5 – 7 एकड़	102	25.5
7 – 9 एकड़	77	19.25
9 एकड़ से अधिक	68	17.0
योग	**400**	**100.0**
औसत भूमि का स्वामित्व	**6.75**	**–**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 4 में ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर आधुनिक कृषि तकनिकी का प्रभाव के अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंकों को ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों को उनके कुल कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की स्थिति के आधार पर विष्लेषित किया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों में सर्वाधिक (22.75 एवं 25.5 प्रतिषत) कृषक परिवारों का 3 एकड़ से 5 एकड़ एवं 5 एकड़ से 7 एकड़ भूमि पर स्वामित्व रखने वाले है। इसी प्रकार जिन कृषक परिवारों का 7 से 9 एकड़ भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवार 19.25 प्रतिषत है एवं 9 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवार भी 17 प्रतिषत है लेकिन जिन कृषक परिवारों का 3 एकड़ से भी कम कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व है ऐसे कृषक परिवार कुल सर्वेक्षित

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018 ISSN No. 2395-6941
Article ID # 31012018 Website: http://www.umrjournal.com/
Peer–Review Refereed Research Journal

परिवारों का 15.5 प्रतिषत है स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में सर्वाधिक कृषक परिवारों का 3 से 5 एकड़ एवं 5 से 7 एकड़ भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवारों की संख्या सर्वाधिक है।

9. ग्रामीण जनजातिय कृषकों के पास कुल सिंचित भूमि की स्थिति (एकड़ में) –:

तालिका क्रमांक 5 ग्रामीण जनजातिय कृषकों के पास कुल सिंचित भूमि की स्थिति (एकड़ में)

सिंचित भूमि	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
3 एकड़ से कम	109	27.25
3 – 5 एकड़	180	45.0
5 – 7 एकड़	59	14.75
7 – 9 एकड़	31	7.75
9 एकड़ से अधिक	21	5.25
योग	**400**	**100.0**
औसत भूमि का स्वामित्व	**4.75**	–

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 5 में ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर आधुनिक कृषि तकनिकी का प्रभाव के अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंकों को ग्रामीण जनजातिय कृषक को कुल कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में से कुल सिंचित भूमि की स्थिति के आधार पर विष्लेषण किया गया। विष्लेषण से ज्ञात हुआ है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों में सर्वाधिक 45 प्रतिषत वे परिवार है जिनके पास कुल कृषि योग्य भूमि में से 3 से 5 एकड़ भूमि सिंचित है और जिन ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों की 3 एकड़ से कम भूमि सिंचित है उनकी संख्या सर्वेक्षित परिवारों का 27.25 प्रतिषत है। साथ ही 5 से 7 एकड़ एवं 7 से 9 एकड़ सिंचित भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवार भी 14.75 प्रतिषत एवं 7.75 प्रतिषत है। 9 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि जिन कृषकों के पास है उनकी संख्या 5.25 प्रतिषत है। अतः विष्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनजातिय कृषकों ने वर्तमान में सिंचाई के साधनों का विस्तार किया है।

10. ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों के पास उपब्ध सिंचाई साधनों की स्थिति –: वर्तमान पर्यावरण एंव मानसून को देखते हुए हर कृषक को अपना कृत्रिम सिंचाई का साधन करना ही पडता है, अगर उसे अपने व्यवसाय से अधिक उत्पादन करना है जिससे वह अधिक उत्पादन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान कर सकता है। ग्रामीण जनजातिय

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 31012018
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

कृषक परिवारों के पास उपब्ध सिंचाई के साधन की स्थिति के सम्बन्ध में जो तथ्य प्राप्त हुए है, अग्र आरेख क्रमांक 1 में दर्षाया गया है –:

आरेख क्रमांक – 1 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों की स्थिति

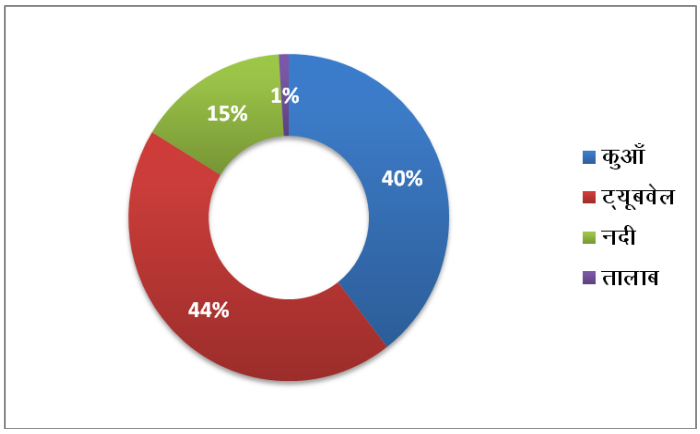

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

आरेख क्रमांक 1 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को उनके पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों की स्थिति वर्गीकृत कर विष्लेषण किया गया विष्लेषण में पाया की सर्वेक्षित कृषकों में सर्वाधिक 44.25 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक सिंचाई के साधन के रुप में ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में द्वितीय स्थान पर सिंचाई साधन के रुप में कुँओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण जनजातिय कृषकों की संख्या 39.5 प्रतिषत है। शेष 15.25 प्रतिषत कृषक नदी से एवं 1 प्रतिषत कृषक तालाब से सिंचाई करते हैं। अतः विष्लेषण से स्पष्ट है कि आजकल ग्रामीण जनजातिय कृषक सर्वाधिक कुँओं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई अधिक करते है।

11. ग्रामीण जनजातिय कृषकों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधन/ यंत्र–:

तालिका क्रमांक 6 ग्रामीण जनजातिय कृषकों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधन/यंत्र

सिंचाई के साधन/यंत्र	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
डीजल पम्प द्वारा	73	18.25
विद्युत पम्प द्वारा	327	81.75
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

तालिका क्रमांक 6 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को उनके द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग किये जाने वाले साधन अथवा यंत्र के आधार पर विष्लेषण किया गया जिससे पता चला है कि सर्वाधिक 81.75 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक सिंचाई करने के लिये विद्युत मोटर पम्प का उपयोग करते हैं। एवं 18.25 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक सिंचाई हेतु डीजल पम्प का उपयोग करते हैं। सिंचाई हेतु पहले ग्रामीण जनजातिय कृषक ड़ीजल पम्प का उपयोग अधिक करते थे परंतु वर्तमान समय में ग्रामीण जनजातिय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विद्युत मिषन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब गाँव–गाँव में विद्युत सुविधा उपलब्ध करवा दी है जिसके चलते कृषक विद्युत पम्प का उपयोग अधिक करने लगे हैं।

12. ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा कृषि में प्रयुक्त की जाने वाली सिंचाई की विधियाँ –:

तालिका क्रमांक 7 – प्रयुक्त सिंचाई की विधियाँ

सिंचाई की विधि	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
क्यारी विधि	278	69.5
फव्वारा विधि	7	1.75
ड्रिप विधि	115	28.75
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 7 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा अपनायी जाने वाली सिंचाई की विधि के आधार पर वर्गीकृत कर विष्लेषण किया गया तो यह पाया गया है कि सर्वाधिक 69.5 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु क्यारी विधि का उपयोग करते हैं तथा 28.75 एवं 1.75 प्रतिषत कृषक ड्रिप विधि एवं फव्वारा विधि का प्रयोग सिंचाई हेतु करते हैं। अतः विष्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि सिंचाई विधि में ग्रामीण जनजातिय कृषक आज भी परम्परागत क्यारी विधि का ही प्रयोग अधिक करते हैं।

13. ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा फसल उगाने की स्थिति –:

तालिका क्रमांक 8 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा फसल उगाने की स्थिति

फसल उगाने के मौसम	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
खरीफ	143	35.75
खरीफ–रबी	204	51.0

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

तीनों मौंसम	53	13.25
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 8 एवं में ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा उगायी जाने वाली फसलों के मौसम के आधार पर विष्लेषण किया गया जिससे पता चला है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातिय कृषकों में 51 प्रतिषत ग्रामीण कृषक खरीफ एवं रबी दोनों मौसम की फसले उगाते हैं। केवल खरीफ की फसल लेने वाले ग्रामीण कृषकों की संख्या 35.75 प्रतिषत है। साथ ही तीनों (खरीफ, रबी एवं जायज) मौसम की फसले उगाने वाले कृषक 13.25 प्रतिषत है विष्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण जनजातिय कृषकों के पास सिंचाई के साधन अब भी कम है जिसके कारण सर्वाधिक खरीफ एवं रबी दोनों मौसम की फसल उगाने वाले कृषक अधिक है।

14. ग्रामीण जनजातिय के आधुनिक यंत्र खरीदने हेतु वित्तीय व्यवस्था के स्रोत की स्थिति

आरेख क्रमांक 2 – ग्रामीण जनजातिय के आधुनिक यंत्र खरीदने हेतु वित्तीय व्यवस्था के स्रोत की स्थिति

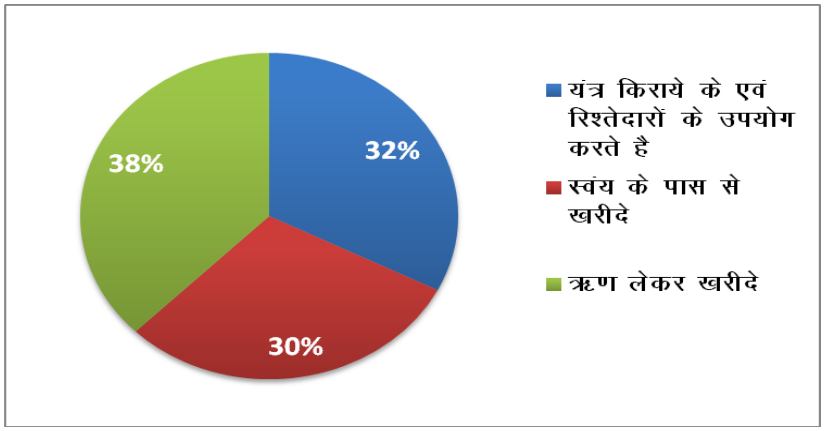

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

आरेख क्रमांक 2 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को आधुनिक यंत्रों को खरीदने हेतु उपयोग किये गये वित्त की स्थिति के आधार पर विष्लेषण किया गया तो यह निष्कर्ष निकला है कि सर्वाधिक 37.5 प्रतिषत सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातिय कृषकों ने ऋण लेकर इन साधनों का क्रय किया है। जबकी 30 प्रतिषत कृषकों ने स्वंय की वित्तीय व्यवस्था से इन साधनों को खरीदा है। 37.5 प्रतिषत जनजातिय कृषक इन साधनों को किराये से लाकर एवं रिष्तेदारों के यहाँ से लाकर उपयोग करने वाले हैं।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

15 ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा यंत्र खरीदने हेतु लिये गये ऋण स्रोत की स्थिति –:

तालिका क्रमांक 9 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा यंत्र खरीदने हेतु लिये गये ऋण स्रोत की स्थिति

ऋण के स्रोत	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
यंत्र किराये एवं रिष्तेदार के उपयोग करते है।	130	32.5
स्वंय के पास से खरीदे	120	30.0
सहूकार से ऋण लिया	40	10.0
बैंक से ऋण लिया	89	22.25
रिष्तेदार से लिया	21	5.25
योग	400	100.0

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 9 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को आधुनिक यंत्रों को खरीदने हेतु लिये ऋण के स्रोतो के आधार पर विष्लेषण किया गया तो यह निष्कर्ष निकला है कि सर्वाधिक 22.25 प्रतिषत कृषकों ने बैंक से ऋण लेकर इन आधुनिक साधनों को खरीदा है एवं 10 प्रतिषत कृषकों ने इन साधनों को खरीदने के लिए साहूकार से ऋण लिया है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में कृषक वित्त की आवष्यकता की पूर्ती साहूकार से ऋण लेकर करते है परंतु अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण जनजातिय कृषक ऋण हेतु बैकों का उपयोग करने लगे है एवं जनजातिय कृषकों ने बैंक से ऋण लिया है। कृषकों द्वारा बैंक से ही ऋण लेने का प्रमुख कारण यह है कि शासन द्वारा कृषकों के हित में चलायी जाने वाली सहायक योजनायें हैं। कृषक साहूकार, महाजन एवं बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोत से भी ऋण लेते जिनमें मित्र रिष्तेदार आदि का भी उपयोग करते है।

15. ग्रामीण जनाजतिय कृषकों द्वारा लिये बैंक ऋण की स्थिति –:

आरेख क्रमांक – 3 – ग्रामीण जनाजतिय कृषकों द्वारा लिये बैंक ऋण की स्थिति

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

आरेख क्रमांक 3 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने हेतु बैंक से लिये गये ऋण के आधार पर विष्लेषण किया गया है जिससे पता चला है कि सर्वाधिक जनजातिय कृषकों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण में 9 प्रतिषत कृषकों ने सहकारी मर्यादित संस्था समिति से ऋण लिया है वहीं द्वितीय स्थान पर 5.25 प्रतिषत कृषकों ने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया है। भूमि विकास बैंक एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक से 8 प्रतिषत कृषकों ने ऋण लिया है। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनजातिय कृषकों ने सहकारी समिति एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है।

17. ग्रामीण जनजाति कृषकों द्वारा किये जाने वाले यंत्रो के किराया भुगतान की स्थिति –:

तालिका क्रमांक 10 – ग्रामीण जनजाति कृषकों द्वारा किये जाने वाले यंत्रो के किराया भुगतान की स्थिति

किराया	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
स्वयं के साधन	270	67.5
5000 से कम	48	12.0
5000 से 7000	48	12.0
7000 से 8000	22	5.5
8000 से अधिक	12	3.0
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

तालिका क्रमांक 10 में ग्रामीण जनजाति कृषकों द्वारा आधुनिक यंत्रों के उपयोग हेतु किये गये किराये भुगतान के आधार पर विष्लेषण किया गया तो यह निष्कर्ष निकला है कि जो कृषक किराये से इन आधुनिक साधनों का उपयोग करते है उनमें सर्वाधिक 24 प्रतिषत कृषक 5000 से 7000 रुपये किराया का भुगतान है और 5.5 प्रतिषत कृषक 7000 से 8000 रुपये किराया का भुगतान करते है। 8000 रुपये से अधिक किराया का भुगतान करने वाले कृषकों की संख्या 3 प्रतिषत है।

18. ग्रामीण जनजातिय कृषकों को आधुनिक यंत्रों के उपयोग के पष्चात् प्राप्त लाभ की स्थिति –:

तालिका क्र.11–ग्रामीण जनजातिय कृषकों को आधुनिक यंत्रों के उपयोग के पष्चात् प्राप्त लाभ की स्थिति

लाभ की स्थिति	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
उत्पादन में वृद्धि हुई	138	34.5
कृषि भूमि का विस्तार हुआ	62	15.5
समय की बचत हुई	101	25.25
श्रम की बचत	99	24.75
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 11 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को आधुनिक यंत्रों के उपयोग के पश्चात् होने वाले लाभ की स्थिति के आधार पर विष्लेषित किया गया तो यह ज्ञात हुआ है कि सर्वेक्षित कृषकों में सर्वाधिक 34.5 प्रतिषत कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के पश्चात् उनके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है एवं 25.25 प्रतिषत कृषकों का कहना है कि समय एवं श्रम की भी बचत हुई। इस प्रकार आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने पश्चात् समस्त कृषकों को लाभ हुआ है। एवं इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

19. ग्रामीण जनजातिय कृषकों उपयोग किये जाने वाले बीजों की स्थिति –:

तालिका क्रमांक – 12 – बीजों के उपयोग की स्थिति

बीजों के प्रकार	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
उन्नत एवं संकरित	60	15.0
परंपरागत एवं आधुनिक दोनों	340	85.0

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 12 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को कृषि में उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले बीजों के आधार पर विष्लेषित किया गया तो यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में भी कृषक परम्परागत एवं आधुनिक दोनों ही बीजों का उपयोग करते हैं तथा सर्वेक्षित कृषकों में 85 प्रतिषत कृषक दोनों प्रकार के बीजों का उपयोग करते है एवं शेष 15 प्रतिषत कृषक उन्नत एवं संकरित बीजों का उपयोग करते हैं।

20 प्रयुक्त उन्नत एवं संकरित बीजों की जानकारी के स्रोत –:

तालिका क्रमांक – 13 – प्रयुक्त उन्नत एवं संकरित बीजों की जानकारी के स्रोत

जानकारी के स्रोत	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
ग्राम कृषि अधिकारी से	69	17.25
अन्य कृषकों से	232	58.0
कम्पनियों के प्रचार–प्रसार से	65	16.25
समाचार –पत्र से	34	8.5
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 13 में ग्रामीण कृषकों को उनके द्वारा कृषि में उपयोग किये जाने वाले उन्नत एंव संकरित बीजों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर विष्लेषण किया गया तो यह ज्ञात हुआ है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातिय कृषकों में सर्वाधिक 58 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक इनकी जानकारी अन्य कृषकों से प्राप्त करते है। 17.25 प्रतिषत कृषक क्षेत्र के ग्राम कृषि अधिकारी से उन्नत बीजों की जानकारी प्राप्त करते है एवं 25 प्रतिषत कृषक इनकी जानकारी इन बीजों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के प्रचार–प्रसार एवं समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त करते है।

21. ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा फसल में रासायनिक दवाओं के उपयोग की स्थिति (प्रति फसल छिड़काव की संख्या) –:

तालिका क्रमांक – 14 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा फसल में रासायनिक दवाओं के उपयोग की स्थिति (प्रति फसल छिड़काव की संख्या)

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

रासायनिक दवाओं का उपयोग	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
दो बार	207	51.75
तीन बार	98	24.5
चार बार	95	23.75
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तालिका 14 में ग्रामीण कृषकों को उनके द्वारा फसलों में उपयोग की जाने वाली रासायनिक दवाओं से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर विष्लेषण किया गया तो यह निष्कर्ष निकला है कि 51.75 प्रतिषत कृषक प्रति फसल दो बार रासायनिक दवाओं उपयोग करते हैं। प्रति फसल 3 से 4 बार बार इनका उपयोग करने वाले कृषक की संख्या भी 24.5 एवं 23.75 प्रतिषत है।

22. ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा फसल में रासायनिक दवाओं के उपयोग की स्थिति (प्रति फसल उपयोग दवा लिटर में) –:

तालिका क्रमांक – 15 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा फसल में रासायनिक दवाओं के उपयोग की स्थिति (प्रति फसल उपयोग दवा लिटर में)

रासायनिक दवाओं की मात्रा	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
एक लिटर	164	41.0
दो लिटर	132	33.0
तीन लिटर	104	26.0
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तालिका क्रमांक 15 में ग्रामीण कृषकों को प्रति एकड़ उपयोग किये जाने रासायनिकों दवाओं की मात्रा के आधार पर विष्लेषण किया गया तो यह ज्ञात हुआ है कि 41 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक प्रति फसल एक लिटर रासायनिक दवाओं का उपयोग प्रति एकड़ प्रति फसल करते है एवं 33 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक 2 लिटर रासायनिक का उपयोग करते है। 3 लिटर रासायनिक का उपयोग करने वाले ग्रामीण जनजातिय कृषक 26 प्रतिषत हैं।

23. ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा प्रति फसल प्रति एकड़ उर्वरक की मात्रा एवं उपयोग की स्थिति –:

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 31012018
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

तालिका क्रमांक – 16 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा प्रति फसल प्रति एकड़ उर्वरक की मात्रा एवं उपयोग की स्थिति (उर्वरक की मात्रा कि.ग्रा. में)

उर्वरक का उपयोग	कृषकों की संख्या	प्रतिषत	उर्वरक की मात्रा	कषकों की संख्या	प्रतिषत
दो बार	162	40.5	55 कि.ग्रा. से कम	48	12.0
तीन बार	133	33.25	55 से 65 कि.ग्रा.	44	11.0
चार बार	105	26.25	65 से 75 कि.ग्रा.	58	14.5
–	–	–	75 से 85	98	24.5
–	–	–	85 कि.ग्रा. से अधिक	152	38.0
योग	**400**	**100.0**		**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 16 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा कृषी में उपयोग किये जाने वाले उर्वरक खाद की मात्रा के आधार पर विष्लेषित किया गया तो यह ज्ञात है कि प्रति फसल दो बार उर्वरक का उपयोग करने वाले ग्रामीण जनजातिय कृषकों की संख्या 40.5 प्रतिषत है। प्रति फसल 3 एवं 4 बार उर्वरक देने वाले ग्रामीण जनजातिय कृषकों की संख्या 33.25 एवं 26.25 प्रतिषत हैं। साथ ही ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा प्रति फसल प्रति एकड़ उपयोग किये जाने वाले उर्वरक की मात्रा की स्थिति के विष्लेषण में हुआ कि सर्वेक्षित कृषकों में 62.5 प्रतिषत कृषक 75 से 100 किलो ग्राम उर्वरक प्रति फसल प्रति एकड़ उपयोग करते हैं एवं 37.5 प्रतिषत कृषक 75 किलो ग्राम से कम खाद प्रति फसल प्रति एकड़ उपयोग करते है। अतः स्पष्ट है कि अधिकतर ग्रामीण जनजातिय कृषक उर्वरको का उपयोग करते हैं।

24. ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा उन्नत बीज, रासायनिक कीटनाषक एवं उर्वरकों को खरीदने के स्रोत की स्थिति –:

तालिका क्रमांक – 17 – ग्रामीण जनजातिय कृषकों द्वारा उन्नत बीज, रासायनिक कीटनाषक एवं उर्वरकों को खरीदने के स्रोत की स्थिति

खरीदने के स्रोत की स्थिति	कृषकों की संख्या	प्रतिषत

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

साहूकार से	191	47.75
बाजार से	120	30.0
ग्रामीण सहकारी संस्था से	89	22.25
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्रमांक 17 में ग्रमीण जनजातिय कृषकों द्वारा उन्नत बीज, रासायनिक कीटनाषकों एंव उर्वरकों को खरीदने के साधनों के आधार पर विष्लेषित किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 47.75 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक इनको साहूकार से खरीदते हैं एवं 22.5 प्रतिषत ग्रामीण जनजातिय कृषक ग्रामीण सहकारी संस्था से खरीदते है, जबकि 30 प्रतिषत कृषक बाजार में दुकानों से खरीदते हैं। साहूकारों से अधिक खरीदने का प्रमुख कारण यह है कि ये ग्रामीण जनजातिय कृषक इनसे उधारी में खरीदते हैं एवं फसल आने पर भुगतान करते हैं। द्वितीय स्थान पर ग्रामीण जनजातिय कृषक इनका क्रय ग्रामीण सहकारी संस्था से करते है क्योंकि ग्रामीण सहकारी संस्था में किसान क्रेड़िट कार्ड पद बीज, उर्वरक एवं रासायनिक दवाईयाँ प्रदान करती है अतः सभी कृषक खरीदते हैं।

25. आधुनिक तकनीकी अपनाने के पष्चात् प्रति फसल लागत की वास्तविक स्थिति –:

तालिका क्रमांक – 18 – आधुनिक तकनीकी अपनाने के पष्चात् प्रति फसल लागत की वास्तविक स्थिति

प्रति फसल लागत में परिवर्तन	कृषकों की संख्या	प्रतिषत
लागत बढ़ गई	348	87.0
लागत कम हो गयी	52	13.0
योग	**400**	**100.0**

स्रोत –: सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तालिका क्रमांक 18 में ग्रामीण जनजातिय कृषकों को आधुनिक तकनीकी अपनाने पश्चात् प्रति फसल लगने वाली लागत की स्थिति के आधार पर विष्लेषण किया गया है तो यह पता चला है कि लगभग समस्त कृषकों की आधुनिक तकनीकी अपनाने पश्चात् कृषि की लागत बढ़ गयी है।

निष्कर्ष –: ग्रामीण जनजातिय कृषकों में सर्वाधिक कृषक 35 से 40 एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं एवं सर्वाधिक परिवारों के मुखिया पुरुष है। इन ग्रामीण जनजातिय कषकों को इनकी षिक्षा के आधार पर

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

विष्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वेक्षित कृषको में सर्वाधिक 48 प्रतिषत कृषक अषिक्षित है। ग्रामीण जनजातिय कृषक परिवारों में सर्वाधिक परिवार संयुक्त परिवार के है। इन ग्रामीण जनजातिय कृषकों को इनकी कुल कृषि योग्य एवं सिंचित भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया तो पाया कि कृषकों के पास 3 एकड़ से कम, 3 से 5 एकड़ एवं 5 से 7 एकड़ भूमि स्वामित्व वाले कृषकों की संख्या लगभग 74 प्रतिषत है। सिंचाई भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों ज्ञात हुआ कि 3 एकड़ से कम एवं 3 से 5 एकड़ सिंचित भूमि के स्वामी कृषकों की संख्या भी लगभग 74 प्रतिषत है।

सिंचाई साधनों में ग्रामीण जनजातिय कृषक प्रमुख रुप से ट्यूबवेल एवं परंपरागत कुओं का उपयोग अधिक करते हैं एवं कृषक सामान्यतः विद्युत पम्प से सिंचाई करते हैं। ग्रामीण जनजातिय कृषक सिंचाई विधि में आज भी क्यारी विधि एवं ड्रिप विधि का प्रयोग करते है तथा 51 प्रतिषत कृषक खरीफ एवं रबी मौसम की फसल उगाते है एवं 13.25 प्रतिषत कृषक तीनों मौसम की फसलें उगाते हैं षेष 35.75 प्रतिषत कृषक मात्र खरीफ की खेती ही कर पाते है। ग्रामीण जनजातिय कृषक कृषि के बदलते स्वरुप को अपनाने में अग्रसर है परंतु इन्हें कृषि सम्बन्धी होने वाले परिवर्तनों की ठीक–ठीक जानकारी नही मिल पाती है, उपरोक्त विष्लेषण से स्पष्ट है कि क्षेत्र में षिक्षा का अभाव है एवं जानकारी नही मिल पाने का मुख्य कारण भी इन जनजातिय कृषकों की अषिक्षा है।

ग्रामीण जनजातिय क्षेत्र में कृषि की आधुनिक तकनीकी एवं कृषि में व्यय की स्थिति के अध्ययन से यह पाया गया कि सर्वाधिक 30 प्रतिषत कृषकों ने ने इन साधनों का उपयोग किराये लेकर करते है। जनजातिय कृषकों में 30.5 प्रतिषत कृषकों इन्हें स्वंय की वित्तिय व्यवस्था से खरीदे है। नवीनतम साधनो को खरीदने हेतु वित्त की व्यवस्था ऋण लेकर की इसमें 37.5 प्रतिषत कृषकों ने साहूकार एवं महाजन से वित्तिय व्यवस्था की एवं 20.5 प्रतिषत ने बैंक से ऋण लेकर की। जिन कृषकों ने बैंक से ऋण लिया उनमें सर्वाधिक सहकारी समिति एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है। ग्रामीण कृषक भी समय के साथ–साथ अपनी कृषि में आधुनिक साधनों का प्रयोग कर रहे है तथा लगभग समस्त कृषक नवीन एवं परम्परागत दोनों प्रकार के साधन कृषि में उपयोग कर रहे हैं। इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत कृषक आपस में एक दूसरे से प्राप्त करते हैं एवं ग्रामीण कृषि अधिकारी से प्राप्त करते है। कृषकों से फसलों के अच्छे उत्पादन एवं कीटों एवं अन्य प्रकोपों से बचाने हेतु उर्वरकों एवं रसायनिक के उपयोग के सम्बन्ध पाया कि कृषक इनका उपयोग बहुताय करते हैं। आधुनिक यंत्रों के उपयोग के पष्चात् इनकी कृषि उत्पादकता बढ़ी है एवं आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

संदर्भ ग्रंथ सूची

क्र.	लेखक का नाम, षीर्षक, प्रकाषक एवं वर्ष
1.	वैद्यनाथन श्सिंचाई श कौषीक बसु (अंक) में अर्थषास्त्र के लिए 12 नई ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन (नई दिल्ली, 2012)।
2.	भारत सरकार, भारतीय कृषि की स्थिति, 2011–12 (दिल्ली, 2012)।
3.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007 – 12 ।
4.	भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2011 (दिल्ली, 2011)।
5.	जी. एस. भल्ला एवं गुरमेल सिह श्आर्थिक लाइबेरिया मुक्त स्टेषन और भारतीय कृषिश (2009)।
6.	मुकेश ईषवरण, अषोक कोटवाल, भारत रामास्वामी एवं वीलिमा वाधवा श्क्षेत्रिय श्रम प्रवाह और भारत में कृषि मजदूरीश इकॉनामिक एण्ड पॉलिटीकल विक्ली 10 जनवरी, 2009।
7.	भारत सरकार श कृषि सांख्यिकी की झलक श 2008 (नई दिल्ली – 2008)
8.	भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2007 – 08 (दिल्ली, 2008)।
9.	पुलप्रे बालकृष्ण, रमेष गुलाटी एवं पंकज कुमार श्भारत में 1991 के बाद कृषि विकास दरश (मुबंई, 2008)।
10.	सुबह सिंह यादव वैष्विक वित्तीय संकट एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, नेहा प्रकाषन एवं डिस्ट्रब्यूटर, 2010।
11.	सुबहसिग यादव एवं हेमा यादव, विष्व व्यापार संगठन एवं कृषि अर्थव्यवस्था, सबलाईम प्रकाषन, 2011।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 32012018
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

राष्ट्रीय एकीकरण व साम्प्रदायिक सदभाव हेतु सकारात्मक सोच वाली पीढ़ी के निर्माण में महिलाओं की भूमिका

डॉ० मैना निर्वाण, व्याख्याता राजनीति विज्ञान,
राज० डूंगर महाविद्यालय

मनुष्य की सभी क्रियाओं का उद्देश्य एक ही है सुख या आनन्द की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति कोई भी मानव अकेले नहीं कर सकता। स्वयं के परिश्रम से वह पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। इसके लिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। समाज मे ही मानवीय जीवन तथा जीवन की निरन्तरता है। समाज कई समूहों से मिलकर बना होता है, जिनके संगठन के कई आधार है जैसे– धर्म, जाति, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, विचारधारा, लिंग भूगौलिकता आदी। इन समूहों मे निरन्तर संघर्ष चलता रहता है जो नकारात्मक के साथ–साथ सकारात्मक भूमिका का निर्वहन भी करता है। संघर्ष की सकारात्मक अवधारणा समूहों के संगठन, अन्तः क्रिया अन्तर्सम्बन्धों आदी को परिवर्तित पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने हेतु आवश्यक रूप से परिवर्तन का बल प्रदान करती है। यह समूहो मे समन्वय का विकास करती है तथा समूह की सम्बद्धता भी बढ़ाती है। जिससे समूह परिवर्तनशील पर्यावरण की चुनौतियो के अतिक्रमण का मजबूती से सामना करने में सक्षम हो सके।

किन्तु अपने नकारात्मक रूप में समूहो की विभिन्नता या अनेकता विरोधाभाषी स्थिति को जन्म देती है। इस स्थिति में यहाँ एक मजबूत पहचान के विषय में भ्रम बना रहता है। अनेकों समूहों की विकासशील पहचान राष्ट्र के एकीकरण मे समस्या खड़ी करती है। जब सम्पूर्ण और बढ़ती हुई सामाजिक पहचान, जो राष्ट्रीय पहचान के रूप मे उभरती है, ऐसी स्थिति में स्थानीय समूहों की संघर्ष पैदा करने वाली सम्बद्धता को रोकती है।

राष्ट्र, राष्ट्रीय एकीकरण व सांप्रदायिकता: राष्ट्र शब्द बड़ा महनीया है। इसका प्रत्येक वर्ण महत्व रखता है। वैदिक विद्वान डॉ० फतेह सिंह राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ बताते हैं– रातियो का संगमस्थल। 'राति' शब्द 'देने' का पर्यायवाची है। राष्ट्रभूमि और राष्ट्रजन की यह संयुक्त इकाई राष्ट्र इसलिए कही जाती है कि यहाँ राष्ट्रजन अपनी–अपनी राति (देन) राष्ट्रभूमि के चरणों पर अर्पित करते हैं। जो इस राति से मातृभूमि को

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

वंचित करना चाहता है, वह अराति है, देशद्रोही है।[1] राष्ट्र एक जीवमान इकाई है। वर्षों–शताब्दियों लंबे कालखण्ड में इसका विकास होता है। किसी निश्चित भू–भाग में निवास करने वाला मानव समुदाय जब उस भूमि के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगता है, जीवन के विशिष्ट गुणों को आचरित करता हुआ समान परम्परा और महत्वाकांक्षाओं से युक्त होता है, सुख–दुख की समान स्मृतियाँ और शत्रु–मित्र की समान अनुभूतियाँ प्राप्त कर परस्पर हित सम्बन्धों में ग्रथित होता है, संगठित होकर अपने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए सचेष्ट होता है, और इस परम्परा का निर्वाह करने वाले तथा उसे अधिकाधिक जेतस्वी बनाने के लिए महान तप, त्याग परिश्रम करने वाले महापुरुषों की शृंखला निर्माण होती है तब पृथ्वी के अन्य मानव समुदायों से भिन्न एक सांस्कृतिक जीवन प्रकट होता है। इस भावनात्मक स्वरूप को ही राष्ट्र कहा जाता है। जब तक यह राष्ट्रीय अस्मिता बनी रहती है राष्ट्र जीवित रहता है। इसके क्षीण होने से राष्ट्र क्षीण होता है और नष्ट होने से नष्ट हो जाता है।[2]

इस राष्ट्रीय अस्मिता को क्षीण करने वाले कई कारक हैं। सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, नस्लवाद, तथा आतंकवाद आदि। जब व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थों के वशीभूत होकर इन तत्वों से प्रभावित होता है तथा राष्ट्र हित को भुलाकर व्यक्तिगत हितों को पूर्ण करने लगता है तो यह राष्ट्रीय अस्मिता या राष्ट्रीय एकीकरण खतरे में पड़ जाता है। एक राष्ट्र जो एक इकाई होता है उसके टुकड़ों में बँटने का खतरा निरन्तर बना रहता है। एक आम नागरिक प्रायः इन तत्वों से निरपेक्ष रहता है। समान्यतः वह राष्ट्र भक्त होता है किन्तु कुछ स्वार्थी तत्व धर्म व जाति के आधार पर समाज व राष्ट्र को बाँटने का प्रयास करते हैं। वर्तमान की सत्ता लोलुप राजनीति इसका एक प्रमुख कारण है। सरकार की नजर में आम आदमी मात्र एक इंसान न रहकर मुसलमान ईसाई व हिन्दू होता जा रहा है।[3] सांप्रदायिकता तब सिर उठाती है जब एक धर्म विशेष को महान मानकर उसके प्रचार प्रसार तथा फैलाव की इच्छा रखने वाली विचारधारा बलवती होने लगती है। समाज के अलग अलग धार्मिक समूह संघर्ष या टकराव का उतावलापन रखते है तो राष्ट्र की एकता विखण्डित होने लगती है।

समाज में राष्ट्रीय एकीकरण एवं संरदायिकता सद्दभाव पैदा करने के कई रास्ते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण व सांप्रदायिकता सद्भावना उत्पन्न करने के इन सभी तरीकों मे समाज के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज के उपसमूहों के नेतृत्व और उनके अनुयायियों के लिए आवश्यक है कि वे अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के स्थान पर वृहत्त परिप्रेक्ष्य को अपनाये। विभिन्न धर्मानुयायियों के लिए आवश्यक है कि वे अन्य

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

धर्मानुयायियों के प्रति सहनशीलता, सहिष्णुता व सहायता का विकास करे एवं आवश्यक रूप से सभी धर्मों में आधारभूत मानवीय परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास करें।

सकारात्मक सोच वाली पीढ़ी के निर्माण मे महिलाओं की भूमिका

पारिवारिक धूरी रूप में 'नारी' एक मुख्य अवयव है– एक घटक जिसके बिना न जीवन है, न जिजीविषा है, न परिवार और न ही समाज। नारी को मर्यादित सम्बन्धों को सरसतापूर्ण नैतिक आदर्शों के साथ जीना होता है जिसमे जीवन का उद्दीपन पक्ष भी है और आलम्बन पक्ष भी है। सामाजीकरण, अन्तरीकरण व उद्दातीकरण–ऐसी सामाजिक क्रियाएँ है, जिनसे सामाजिक जीवन मधुर, सरस व सम्यक होता है।[4] राष्ट्रीय एकीकरण एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने मे महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक महिला ही है जो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण तथा उसके सकारात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। एक माता बालक की प्रथम पाठशाला होती है।

बालमन पर पड़े प्राथमिक प्रभाव उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनकर जीवन भर उसके साथ रहते हैं। बालक के मानसिक विकास मे प्रारम्भिक वर्ष निर्णायक होते हैं। एक महिला बालक का मजबूत व सकारात्मक मानसिक विकास करते हुए एक समाजोपयोगी नागरिक का निर्माण कर समाज व राष्ट्र को सशक्त मानव संसाधन उपलब्ध करवा सकती है। समाज के आधारभूत विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'नारी के सहयोग की अपेकक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ की गई है। नारी केवल गृहणी नहीं है, अपितु पुरुष की गुरु भी है, बिना नारी के सामंजस्य स्थापित किये, इसका मनोसामाजिक, सांस्कृतिक विकास किये, इसका सहयोग लिए पुरुष समाज न तो शांति की ही कल्पना कर सकता और न ही समृद्धि की। ..... नारी ही समृद्धि का इतिहास रच सकती है, संस्कृति व सभ्यता के आयामों को विविध रंग दे सकती है, मानव समाज के सत्व को उत्तुंगता दे सकती है।[5]

अखिल भारतीय बाल कल्याण परिषद की अध्यक्षा रही श्रीमति तारा अली बेग कहती है, 'मैं भारतीय महिलाओं की एक माँ व गृहणी के रूप में भूमिका को किसी भी रूप मे कम महत्व का नहीं आँकती। हाँ यदि महिला ..... पुरुष की प्रतिद्वन्द्विता में उतरेगी तो परिवार का विघटन होगा और बच्चों को कभी सही दिशा नहीं मिलेगी, जिसकी कि आज राष्ट्र को सबसे अधिक जरूरत है।[6]

श्रीमति विजया राज सिंधिया का कहना है कि 'राष्ट्र' को नैतिक व चारित्रिक गिरावट से बचाने के लिए स्त्रियों को आगे जाने की जरूरत है।' प्रगति को सांस्कृतिक व चारित्रिक आधार दिया जाए। वर्तमान व भावी भारत को भ्रष्टाचार की बुराई से बचा कर नई पीढ़ी को आशा भरे क्षितिज की ओर मोड़ने के लिए

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

दिशा दी जा सके, इसके लिए भारतीय महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या मे आगे बढ़ कर नीतिनिर्माण व समाज निर्माण के कार्यों मे भाग लेना चाहिए।[7] क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व उपेक्षा से त्रस्त युवा पीढ़ी के शीघ्र विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव में आने का खतरा सदैव बना रहता है।

राष्ट्र सुखी, सम्पन्न हो। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े। बेकारी बेरोजगारी, भुखमरी, अशान्ति का अंत हो। न्याय सुलभ हो। आपसी झगड़े समाप्त हो, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषायी संकुचितताओं से ऊपर उठकर लोगों के सोचने विचारने के तरीके को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों मे सेक्युलर, धार्मिक सहिष्णुता के मूल्यों जैसे सहनशीलता, धार्मिक सद्भाव, अन्य धर्म व पक्ष को समझने व आदर देने की भावना का विकास किया जाये। ये ऐसे गुण है जो बच्चे को बाल्यकाल से ही अपनी माता से सीखने को मिलने चाहिए। प्रायः सेक्युलर के सही अर्थ के संबंध मे भ्रम बना रहता है। सेक्यूलर के लिए भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त पर्यायों से यह भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। लौकिक, धर्महीन, धर्म रहित, धर्मनिरपेक्ष, अधार्मिक, अधर्मी, निधर्मी, असाम्प्रदायिक आदि अनेक शब्दों का सेक्यूलर के पर्याय के रूप में प्रयोग आदि है।

निश्चित ही उपर्युक्त सभी शब्द समानार्थक नहीं है। उनमे मतभिन्नता ही नहीं अपितु वे विरोध की सीमारेखा को भी स्पर्श कर जाते हैं।[8] एक महिला ही, चाहे वह माँ हो या शिक्षिका बच्चे को सेक्यूलर शब्द के अर्थ को समझने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धर्म शब्द का मर्म समझा सकती है। माँ ही बता सकती है कि हमारे यहाँ धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। 'धर्मों धारयति प्रजा', जो समाज को धारण करता है वह धर्म है। किसी भी सामाजिक प्राणी का कोई भी कार्य धर्म से रहित हो ही नहीं सकता। जिसे हम आज धर्म कहते हैं वह धर्म का अत्यन्त संकीण रूप 'मत' है। 'मत' या संप्रदाय के संबंध मे मतान्तर हो सकते हैं 'धर्म' के संबंध मे नहीं। अतः समाज मे व्याप्त विभिन्न मतों के सन्दर्भ मे हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। समन्वय के भाव को परिपुष्ट बनाने के लिए सहिष्णुता का होना आवश्यक है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण यहाँ अनेक समुदाय चले।[9]

ये सीख एक माता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। एक महिला ही परिवार मे समंजस्य रखने वाली, परिवार के झगड़ों को सुलझाकर समन्वय स्थापित करने वाली धूरी है। बच्चा अपनी माता से त्याग, संयम, सदभाव व अहम के स्थान पर हम की भावना का विकास माँ के सहयोग व वात्सल्य में सहज रूप से आत्मसात करता है। परिवार मे जब बच्चा 'मैं' को 'हम' मे गुंजित होते हुए देखता है तो 'हम याने सामूहिक उत्तरदायित्व उभरा कि शक्ति का प्रस्फुटन होता है। जो उसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्धारित करने

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

तथा समाज में सामंजस्य स्थापित करने के गुर सिखाती है। बच्चा सीखता है कि 'हम' ही वह मूलभूत तथ्य है जो 'मैं' को सार्थक बनाता है। आर्थिक नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास इसी तथ्य में निहित है।[10] यह सामूहिक भाव याने राष्ट्रीयता ही वह कसौटी है जिस पर हमारी प्रत्येक कृति, प्रत्येक व्यवस्था ठीक या गलत गिनी जावेगी। सामूहिक जीवन के इन संस्कारों को मजबूत करना ही प्रगति का मार्ग।[11] इस सामूहिकता (परिवार) के लिए स्वयं को मिटाने की कला बालक अपने बालपन से ही माँ के दैनिक व्यवहार में देखता व सिखता है। जो आगे चलकर उसे परिवार से बड़े समूह–समाज व राष्ट्र मे समाहित होने मे सहयोग प्रदान करती है।

भारतीय संकृति..... वाद विवाद को तत्वबोध के साधन के रूप में देखती है। हमारी मान्यता है कि सत्य एकांगी नहीं होता, विविध कोणों से ही सत्य को देखा, परखा और अनुभव किया जा सकता है। इसलिए इन विविधताओं के समंजस्य के द्वारा जो सम्पूर्ण का आकलन करने की शक्ति रखता है, वही तत्वदर्शी है वही ज्ञाता है।[12] एक शिक्षिका के रूप मे, एक माँ के रूप मे महिला सत्य शोधन की प्रष्ठभूमि तैयार कर सकती है। वह बालक मे वाद–विवाद, तर्क वितर्क तथा तार्किक दृष्टि के साथ ही साथ भावनात्मक दृ ष्टिकोण द्वारा तथ्यों को देखने व समझने की शक्ति उत्पन्न करती है। जिससे एक ऐसी पीढ़ी का विकास हो जो किसी के बहकावे मे न आकार स्वयं सत्य शोधन करके सही गलत की पहचान कर सके तथा विध्वंसक तत्वों के फैलाव को रोक सके, उन्हे बाधित कर सके। एक शिक्षिका के रूप में महिला बालक को संतुलित व सही रूप से शिक्षित कर सकती है। शिक्षित मनुष्य वह व्यक्ति नहीं जो सड़ी गली भ्रांतियों का शिकार है वरन वह इन मृत प्रायः विचारों के भार से मुक्त है। ग्रीक लोगो के साहित्य में पूज्य ग्रन्थ अथवा प्राचीन पुस्तके भी नहीं थी जो उनकी स्वतन्त्र विचार क्रिया में बाधक होती। वे कभी अतीत के भार से दबे नहीं रहे। ..... विवेक बुद्धि समीक्षा की भावना ही शिक्षा का सार है।[13]

आज की युवा पीढ़ी दिनोदिन प्रेक्टिकल–व्यवहारिक होती जा रही है वह जीवन में आसान तरीकों को अपनाने में रुचि रखती है। जीवन के आधारभूत मूल्यों सिद्धांतों में उसका विश्वास नहीं रहा है। जबकि समाज, राष्ट्र को अमरता दिलाने में हमारे सिद्धान्त यानी 'आइडियोलॉजी' का महत्व सबसे अधिक है। किसी श्रेष्ठ विचारक ने कहा है कि सिद्धान्त अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। (प्रिंसिपल स्टेण्ड्स ऑन इट्स ऑन लेग्स) कारण यह है कि सिद्धान्त पर अटल निष्ठा हो तो विपरीत और विषय परिस्थितियों में भी राष्ट्र स्वाभिमान पूर्वक जीवित रहता है।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

मशहूर शायर मुहम्मद इकबाल ने कहा हैः

यूनान मिश्र रोमाँ सब मिट गए जहाँ से

बाकी बचा है अब तक नामो निशां हमारा

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

जो बात हमारे राष्ट्र को अमर बनती है वह यही सिद्धान्त व जीवन मूल्य है। हमें हमारी युवा पीढ़ी की आस्था पुनः इन आदर्शों, जीवन मूल्यों व सिद्धांतों मे जगानी होगी और यह एक महिला ही श्रेष्ठ रूप से सम्पन्न कर सकती है। एक शिक्षिका के रूप मे महिला युवा पीढ़ी को पुनः अपने जीवन मूल्यो, आदर्शों, विश्वासों, आस्थाओं सिद्धान्तों व विचारधारा को सही परिप्रेक्ष्य मे समझने, चुनने व अपनाने को प्रोत्साहित कर सकती है। उसके पास एक माँ का मनोवैज्ञानिक हथियार होता है जिससे वह विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत कर सकती है। शंकाओं का समाधान मृदुलता के साथ कर सकती है व स्वतन्त्र चिन्तन की कला का विकास कर सकती है।

समाज सेविका के रूप में महिला न केवल अशिक्षा, गरीबी, अज्ञान, अन्याय के साथ लड़ती है वरन इसके समानान्तर वह समाज में सदभावना, सदाचार, सहिष्णुता का पाठ भी निरन्तर अभावग्रस्त बच्चों, अशिक्षित व गरीब महिलाओं, रूढ़िवादी पुरानी पीढ़ी तथा अजागरुक नागरिकों को पढ़ाती है। वह समाज की दकियानुसी परम्पराओं, भ्रान्तिपूर्ण धार्मिक मान्यताओं रूढ़ियों के सम्बन्ध में जनता को न केवल सचेत करती है वरन इनके खिलाफ लड़ने का हौसला देती है। इनका समाधान निकालने की समझ प्रदान करती है। इनका कार्य क्षेत्र प्रायः महिलाओं के मध्य रहता है। इस प्रकार अगर ये एक भी महिला को धर्म का सही परिप्रेक्ष्य समझाने धार्मिक भ्रांतियों को समझने व इन्हे दूर करने, धार्मिक सदभावना का विकास करने मे सफल रहती है तो एक पूरे परिवार को धार्मिक उन्माद का हिस्सा बनने से रोक सकती है। व राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

इस प्रकार साधारण सा लगने वाला व्यक्तित्व (महिला) दृढ़ संकल्पित होकर कर्मशील संस्कृति मे स्वयं को व्यापक रूप से व्यक्त करता है तो राष्ट्र की जीवन धारा को प्रबल व प्रखर बना सकता है। तभी तो सर्वपल्ली डॉ० राधा कृष्णन ने ऐसे ही एक महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 'यह देखकर हृदय उत्साह से भर उठता है कि कम से कम महिला सम्मेलन में तो ऊँच नीच, हिन्दू मुस्लिम,

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

योरोपियन–भारतवासी, सरकारी तथा गैर सरकारी की भेदभावना का विचार नहीं रखा जाता। इन सम्मेलनों का यह ढ़ंग कुछ ऐसा है कि वह हम पुरुषों के लिए तिरस्कार तथा फटकार का काम करता है और में आशा करता हूँ कि आपका यह उद्देश्य हमे अवश्य ही प्रभावित करेगा। .... यदि आप व्यक्ति निर्माण का कम उत्तेजक पर अधिक श्रम साध्य कार्य अपने हाथ में ले लें तो समाज का नव निर्माण अपने आप हो जायेगा।[14]

1 भुवनेश्वर गुरुमैता, प्राचीन भारतीय साहित्य में राष्ट्रिय अस्मिता, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 1994, पृ० 4
2 दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2005, पृ० 38
3 मानचन्द खंडेला, भारतीय राजनीति का बदलता परिदृश्य, अरिहन्ता पब्लिशिंग हाऊस, 2008, पृ० 202
4 एम० ए० अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ० 371
5 एम० ए० अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ० 23–24
6 एम० ए० अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ० 34
7 एम० ए० अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ० 36
8 दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2005, पृ० 53
9 दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2005, पृ० 61
10 दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2005, पृ० 22
11 दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2005, पृ० 24–25
12 दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2005, पृ० 68
13 सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन, स्वतन्त्रता और संस्कृति, सुभाष चंद्र एण्ड संस, दिल्ली, 2004, पृ० 48–49
14 सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन, स्वतन्त्रता और संस्कृति, सुभाष चंद्र एण्ड संस, दिल्ली, 2004, पृ० 105

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 33012018
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website:http://www.umrjournal.com/

स्वच्छ भारत अभियान : भारत एवं मीडिया

विजय सिंह, शोधार्थी, हिंदी विभाग

दिनेश कुमार, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग

आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानीपत

आजादी के 70 साल बाद भी हम अपने अस्वास्थकर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। हम भारतीय बहुत ही धार्मिक और पवित्र सोच के इंसान है पर हमारी स्वच्छता और पवित्रता सिर्फ हमारी पूजा गतिविधियों ,घर और रसोई तक ही सीमित हैं। अकसर हम हमारे घरों को साफ करते–करते वही कचरा ला कर सड़क, रास्ते, पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों पर फैंक देते हैं। हम अपने आस–पास के वातावरण को साफ और स्वच्छ बिल्कुल नही रखते। यह हमारे लिए एक शर्मनाक बात हैं कि हम कहीं भी कोई गंदगी का ढेर देख सकते है।

स्वच्छ भारत अभियान भारतीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान हैं। इस अभियान द्वारा भारत को गंदगी रहित बनाया जाएगा। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण करवाना, पीने का साफ पानी हर घर तक पहुँचाना, ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढावा देना, सडकों की सफाई करना और देश का नेतृत्व करने के लिए देश के बुनियादी ढाँचे को बदलना शामिल हैं। स्वच्छ भारत अभियान को **क्लीन इंडिया मिशन** भी कहा जाता हैं। इस अभियान की शुरूआत में महात्मा गांधी के चश्में का 'लोगो' प्रयोग किया गया, जिसके एक लैंस पर 'स्वच्छ' और दूसरे लैंस पर 'भारत' शब्द लिखा हुआ है। जिसे देखने मात्र से ही यह प्रतीत हो जाता है कि यह कोई साधारण अभियान नहीं है बल्कि महात्मा गांधी द्वारा देखे गए सपने **'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत'** को पूरा करता एक राष्ट्रीय आंदोलन हैं। स्वच्छ भारत का सपना सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि 'स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है।'1 जीवन में निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्तूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोंदी जी ने भारत के दो सपूतों महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देकर अभियान को आरंभ किया। गांधी जी के 145 वें जन्मदिन पर मोदी जी ने गाँधी जी द्वारा देखे गए सपने को शुरू किया और 2 अक्तूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार का नहीं है, ये काम तो देश के 130 करोड लोगों का है जो भारत माता की संतान है। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाकर लोगों से आह्वान किया कि **हम न गंदगी खुद करेंगें और न दूसरों को करने देंगें**।

स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के लिए सर्वप्रथम 9 लोगों को शामिल किया गया । इनमे मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव,शशि थरूर, अनिल अंबानी,कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम है। मोदी जी ने इन 9 लोगो को अन्य 9 लोगों को शामिल करने की बात कही, जिससे एक श्रृंखला बने ताकि स्वच्छ भारत अभियान जल्द से जल्द पूरा हो। इस स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को **एक कदम स्वच्छता की ओर** नारा दिया गया ।

स्वच्छ भारत अभियान पहली बार चलाया जाने वाला अभियान नहीं है बल्कि इससे पहले भी ग्रामीण भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सन् 1999 ई॰ में भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसे **निर्मल भारत अभियान** के नाम से जाना जाता था। इस अभियान को पूर्ण स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है लेकिन ये अभियान असफल रहा । इसलिए अब इस अभियान का पुर्नःगठन स्वच्छ भारत अभियान के रूप में किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच करने की मजबूरी को रोकना हैं। इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। इन बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों का निर्माण पूरे देश में कराने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने टैक्नोलॉजी के माध्यम से कचरे को जैविक खाद और इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में परिवर्तित करने की भी योजना बनाई है।

यदि सीधे शब्दों मे कहे तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है – खुले में शौच की प्रवृत्ति को जड़ से हटाना, खुले हाथों से साफ – सफाई की प्रवृत्ति को हटाना, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना, ठोस कचरे का प्रबंधन करना इत्यादि। इसी के संदर्भ में – 'शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है लगभग 1.04 करोड़ परिवारों को 2.6 लाख सामुदायिक शौचालयों और प्रत्येक शहर में ठोस अपशिस्ट प्रबंधन उपलब्ध कराने का हैं। इस कार्यक्रम के तहत सामुदायिक शौचालयों का आवासीय क्षेत्रों में निर्माण किया

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

जाएगा, जहाँ व्यक्तिगत घरेलु शौचालय बनाना मुश्किल हैं, इसी तरह सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी प्राधिकृत स्थानों जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पे किया जाएगा। इस मिशन का कुल खर्चा 62 हजार 9 करोड़ रूपये है जिसमे से 14623 करोड़ रूपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपने 14623 करोड़ रूपये में से 7366 करोड़ रुपये ठोस कचरा प्रबंधन में लगायेंगे, सार्वेजनिक जागरूकता पर 1828 करोड़ खर्चा करेंगे, व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों पर 4165 करोड़ रूपये खर्च करेंगे और 655 रूपये सामुदायिक शौचालयों पर खर्च करेंगें।'2

इसके अतिरिक्त भारत में सभी सेवाओं पर स्वच्छ भारत 0.5 प्रतिशत् सेवा कर है। यह स्वच्छ भारत अभियान के लिए भारत के हर नागरिक से कुछ फण्ड एकत्र करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान के लिए प्रत्येक 100 रूपये के लिए अतिरिक्त 50 पैसे सेवाकर देना होगा। जिसका उद्देश्य देश में चलाए गए स्वच्छता अभियान के लिए वाजिब फंड जुटाकर इस अभियान को सफल बनाना है।

जिस प्रकार स्वच्छता अभियान में सरकार बढ़–चढ़ कर भाग ले रही है। इसी तरह भारत का साहित्य, सिनेमा और मीडिया भी लगातार लोगों में स्वच्छता की अलख जगाता रहा है। साहित्य शब्द 'सहित' शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है –दूसरों का भला करना या फिर दूसरों का हित चाहना। हिंदी साहित्य लगातार इस भाव को अपने अंदर समाहित करके स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देता रहा है। फिर चाहे वह कथात्मक रूप में हो या फिर काव्यात्मक रूप में । इसी संदर्भ में प्रवासी साहित्य की कुछ पंक्तियां –

ष्चौका चूल्हा चौखट, रखते सभी पवित्र,
गलियारें भी साफ हों, नहीं सोचते मित्र ।
नहीं सोचते मित्र, जरूरत इसकी कितनी,
उतनी ही व्यंजन परोसने थाली जितनी ।
खूब सजे पकवान, मगर थाली हो गंदी,
खुश न हो मेहमान, अक्ल इसमे है मंदी।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

अंदर घर सुंदर सजा, बाहर कूड़ा कींच,

नहाये धोये पहन ली, ज्यो गंदी ही कमीज ।

ज्यो गंदी ही कमीज, सकुच अपने मन आवे,

बहर कूड़ा देख, विदेशी को न भाये।

जितना आवश्यक है, घर–आंगन हो स्वच्छ,

उतना ही आवश्यक, बाहर भी हो स्वच्छ।

जो फैलाये गंदगी, जुर्म करें वे जान,

नियम और कानून का ,करते वे अपमान।

करते व अपमान, समाज मे दागी हैं वे,

चोरी जैसे करें, दंड के भागी हैं वे।

गंद अशोभनीय और फैलाये बीमारी,

स्वच्छ होय भारत, प्रतिज्ञा होय हमारी। 3

इस प्रकार हिंदी साहित्य ने स्वच्छता को भारतीय आम जन–मानस की अस्मिता से जोड़ दिया। जिसके प्रभाव स्वरूप हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले पाठकों में स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अहसास हुआ।

हिंदी साहित्य के साथ ही वर्तमान के मीडिया और हिंदी सिनेमा ने भी स्वच्छ भारत अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नैनीताल में लगे दीवार फिल्म के पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जिसे मीडिया ने अपनी खबर का हिस्सा बनाया । भारत में हिंदी सिनेमा लोगों की भावनाओं से जुडा हुआ है। जब भी सिनेमा के माध्यम से दुःखी माँ का किरदार सामने आता है तो आम जनमानस की आँखों से आँसू बहने लगते हैं जो कि सिनेमा और उसमे दिखाए जाने वाले कंटेंट के प्रति प्रत्येक भारतवासी की भावना को प्रकट करता है।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

मीडिया ने सिनेमा में दिखने वाली इसी मां की ममता के सहारे स्वच्छ भारत का संदेश देने का प्रयास किया है। अब तक जो मां अपने जीवन के बसर के लिए गुणों के आधार पर अपने बेटों में से किसी एक का चयन करती है वह मां पहली बार अपने बच्चों के प्रति मोह को त्याग कर जिस बेटे के घर शौचालय है उसी के साथ जाने को तैयार होती है। इसी के संदर्भ में –'बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार का वह डायलॉग तो शायद आपको याद होगा ही, जब एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं– आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? जवाब में शशि कपूर कहते हैं–ष्मेरे पास मां है' इसी डायलॉग के जरिए तो आप ने कई प्रोडक्ट का विज्ञापन होते हुए देखा होगा। इस बार इसी फेमस डायलॉग की मदद से स्वच्छता अभियान का प्रचार किया जा रहा है इन दिनों फेसबुक पर तस्वीरें देखी जा रही है जिसमें, फिल्म दीवार का पोस्टर है। इसमें अभिताभ बच्चन, शशि कपूर और निरूपा रॉय दिख रहे है इस पोस्टर मे अमिताभ की तस्वीर के नीचे लिखा है – मां चल मेरे साथ, शशि कपूर की तस्वीर के नीचे लिखा है, नहीं मां मेरे साथ रहेगी, वहीं निरूपा रॉय की तस्वीर के ऊपर लिखा है, नहीं, मैं उसी के साथ रहूंगी जो पहले शौचालय बनवाएगा ?4

एन डी टीवी ने इस विज्ञापन को अपनी खबर का हिस्सा बनाया । जिसको पढ़ने के बाद एक बार तो पाठक हंसा, लेकिन तुरंत ही फिर वह इस पर विचार करने लगा कि यह उसका दायित्व है कि वह अपने परिवार को स्वच्छता और निर्मलता भरा जीवन प्रदान करे। इसी प्रकार का एक और विज्ञापन जो एन डी टीवी के माध्यम से सामने आया। जिसमें भारतीय आम जन के दिलों को धड़काने वाली शोले फिल्म का एक पोस्टर है जिस पर अमिताभ बच्चन घायल हुआ दिखाई देता है ।इसी संदर्भ में –' सुपरहिट फिल्म ष्शोले' का एक सीन है, जिसमें अमिताभ बच्चन गोली लगने के बाद बेहद जखमी हालत में दिख रहे है। अमिताभ को धर्मेंद्र अपनी गोद में लिए हुए हैं। इस तस्वीर में धमेंद्र यानि शोले के वीरू पूछ रहे हैं, क्या हुआ जय, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? जवाब में अमिताभ बच्चन यानि जय कहते है घर में शौचालय नहीं है ना, तो रात के अंधेरे में खुले में शौच जाते वक्त गिर गया' ।5

इस प्रकार की खबरों के माध्यम से मीडिया का एकमात्र उद्देश्य लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है। जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मीडिया का इस प्रकार से समाज के प्रत्येक नागरिक से सीधे तौर पर सरोकार रखने वाली खबर को दिखाना काबिले तारीफ है। मीडिया के इसी सराहनीय योगदान स्वरूप नवंबर 2014 से एनडी टीवी ने स्वच्छता अभियान के संबंध में एक कैंपेन चलाया। जिसके ब्रांड अंबेसडर अमिताभ बच्चन है। इस अभियान के तहत यदि भारत का प्रत्येक

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

नागरिक अपने घर के आस के आस–पास की 10 गज जगह भी साफ करेगा तो पूरा भारत अपने आप स्वच्छ जाएगा। यह कैंपेन 10 गज नाम से ही डेटोल और एन डी टीवी के सहयोग से चलाया गया। जिसका उद्देश्य देश में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना है।

स्वच्छ भारत अभियान मूल रूप से लोगो की मानसिकता में बदलाव लाने का एक अभियान है जहां आज भी गांव में लगभग 60 करोड़ व्यक्ति खुले में शौच करते है। जनसंख्या के बडे हिस्से की मानसिकता खुले में शौच करने की है और इसे बदलने की आवश्यकता है। इसी मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश सिनेमा भी लगातार करता रहा है। पिछले वर्ष बनी फिल्म **टॉयलेटःएक प्रेम कथा** इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा इसी स्वच्छता अभियान पर बनी है। राजनीति पर तो बॉलीवुड में कई फिल्में आई है लेकिन ये पहली बार है जब स्वच्छ भारत अभियान के सपने पर किसी ने फिल्म बनाई हो। ये पहली फिल्म है जो सरकार के किसी अभियान से प्रेरित होकर बनाई गई है। फिल्म की टैगलाईन है–स्वच्छता आजादी। स्वच्छ भारत के सपने के इर्द–गिर्द बुनी गई ये कहानी समाज की उस जटिल मानसिकता को रेखांकित करती है जो कि धर्म, जाति की आढ़ में रूढ़ हो चुकी है। स्वयं को मनुवादी कहते लोग अनेक प्रकार की गंदगियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ सरकार के खोखले वादे और दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई को यह फिल्म बयां करती है।

स्वच्छता पर पहले भी फिल्में बनी होंगी लेकिन सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिला कि शौचालय पर भी एक प्रेमकथा हो सकती है और कथा भी इतनी मजबूत जो साधारण से मुद्दे को भारतीय जन मानस का मुद्दा बना देती है। फिल्म को देखते ही लोगों के अंदर जीवन में स्वच्छता का जो भाव पैदा होता है वह महात्मा गांधी के उस कथन की याद दिलाता है जो कि –' यदि हम अपने घरों के पीछे सफाई नहीं रख सकते तो स्वराज की बात बेईमानी होगी। हर किसी को स्वयं अपना सफाई कर्मी होना चाहिए।'6

इस फिल्म ने भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान करने में अपना अहम योगदान दिया। यही कारण था कि भारत के प्रत्येक जनप्रतिनिधि, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर, गांव इत्यादि के जनप्रतिनिधित्व को यह फिल्म दिखाई गई। इसका उद्देश्य चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से साधारण जनता की मानसिकता मे बदलाव करना और उन्हें यह अहसास कराना कि मानव जीवन के लिए स्वच्छता कितनी आवश्यक हैं? जब तक यह बदलाव लोगों की मानसिकता में नहीं आता तब तक भारत की उन्नति और

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

विकास के कोई मायने नहीं है। जो देश खुद को सुपरपावर कहता हो और उसकी बड़ी आबादी सफाई न होने से जनित बिमारियों से मर रहे हो तब सुपरपावर का होना न होना एक बराबर है।

इस प्रकार मीडिया और सिनेमा के लगातार प्रयासों से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती मिली है। भारत सरकार ने 2019 तक भारत को पूर्ण स्वच्छता प्रदान करने का जो संकल्प लिया है उसी के संदर्भ में –' स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्तूबर 2019 तक एक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त लक्ष्य का हासिल करना चाहता हैं। इस लक्ष्य के कारण शौचालयों के निर्माण में बढौतरी हुई है और इसका उपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति बेहतर व्यवहार का बढ़ावा मिला है। ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन से भी स्वच्छता को बढ़ावा मिला हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्तीय आवंटन में निरंतर वृद्धि हुई है। यह आवंटन 2014–15 में 2850 करोड़ रूपये था जो 2015–16 में बढ़ कर 6525 करोड़ रूपये हो गया 2017–18 के लिए आवंटन 14000 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के अंतर्गत 4 करोड़ 82 लाख 64 हजार 304 शौचालयों का निर्माण हुआ है। खुले में शौच से मुक्त गाँवों की संख्या बढ़कर 2 लाख 38 हजार 966 हो गई है। व्यक्तिगत शौचालयों का कवरेज 2014 के 42 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 64 प्रतिशत् हो गया है। 5 राज्यों ने अपने को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। पेयजन ओर स्वच्छता मंत्रालय ने कहा कि अक्तूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में यह प्रगति उत्साह–वर्धक है।'7

इस प्रकार लगातार 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' को बनाने में मौजूदा सरकार जितना योगदान दे रही है। उसे देखकर लगता है कि 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प लिया गया है। वह लगातार अपनी सही राह पर बढ़ रहा है। इस संकल्प का पूरा करने में मीडिया और सिनेमा अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तथा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अनेक स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करके, इस अभियान को समाज की मुख्य धारा से`जोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार प्रत्येक बातों को सरकारों पर नहीं छोडा जा सकता। उसी तरह इस स्वच्छता अभियान को भी सिर्फ सरकारों के भरोसे न छोड़कर बल्कि मानवजाति की अस्मिता से जोड़कर दखा जाना चाहिए। जब स्वच्छ होगा भारत तभी स्वस्थ होगा भारत।

सहायक ग्रंथ : –

http%//hi.wikipedia.org/wiki / स्वच्छ–भारत–अभियान

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

संदर्भ ग्रंथ सूचि :–

1-http://pib.nic.in/newsite /PrintHindiRelease.aspx.?relid=67219/ स्वच्छता ही सेवा' अभियान /**वी. श्री निवास** /20–सितम्बर–201717:25 IST/

2.http://www.1hindiblogging.com/swacch-bharat-abhiyaan-par-nibandh-bhashan-naare-guidelines-hindi-pdf.html

3.http://hindi.webdunia.com/nri-litrature/swachh-bharat-abhiyan-1141110000231.html

4.http://khabar.ndtv.com/news/zara-hatke/swachh-bharat-abhiyan-campaigns-based-on-deewar-film-dialogues-mere-paas-maa-hai-1679457

5.http://khabar.ndtv.com/news./zara-hatke/amitabh-bachchan-injured-during-going-to-toilet-ranchi-municipal-corporation-use-this-film-scene-for-1696690

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 34012018
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website:http://www.umrjournal.com/

समकालीन स्त्रीवादी लेखन और भूमंडलीकरण

डाकोरे कल्याणी लिंगुराम, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, हैदराबाद-500046

मो.नं .9490523840

भूमंडलीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। बीसवीं शती के अंतिम दो दशकों से ही इसके लक्षण साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं। भूमंडलीकरण का चरित्र बहुआयामी है। यह अपने आपमें एक अवधारणा प्रक्रिया और अभियान तीनोंहैं। इसे उदारीकरण ए वैश्वीकरणए बाजारअर्थव्यवस्था-ए आर्थिक आधुनिकतावाद विश्वग्राम इत्यादि कई नामों से जाना जाता है।यह एक ऐसी-सुधार उत्तर-मायावी शक्ति का नाम है जो अपने विरोधियों से भी परोक्ष रूप से अपने पक्ष की बात करवा लेती है। इस स ंदर्भ में अभय कुमार दूबे कहते हैं कि-"भूमंडलीकरण एक बेहद ताकतवर परिघटना है जो सब कुछ बदल दे रही है। वह दोनों तरफ से बदलती है यानि वह हालत को अपने सार्वभौमिक सांचे में तो ढालती ही है उसके प्रति उसके विरोधियों की प्रतिक्रिया भी एक खास तरह के परिवर्तन को जन्म देती है जो शुरु में भूमंडलीकरण के खिलाफ लगता है ए पर अंतिम विश्लेषण में उसकी संरचनाओं की मदद करता पाया जाता हैश1 भारत ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के सभी देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव हम देख सकते हैं | भूमंडलीकरण के प्रभाव को अपनी कविता में व्यक्त करते हुए कवी कहते हैं -

"वैश्वीकरण की आंधी आई,
कमर तोड़ रही है महँगाई,
'सेज' की नीति नवीन है,
किसानों से छीन रही जमीन है...
'विनिवेश' का यह तूफान,
आत्महत्या कर रहे किसान,
'साम्राज्यवाद' की रणभूमि में,

1. अभय कुमार दूबे, भारत का भूमंडलीकरण, वाणी प्रकाशन दिल्ली, संस्करण२००८-, पृष्ठ२७-

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

हारा फिर से हिंदुस्तान'[2]

भूमंडलीकरण ने समाज को अधिक प्रभावित किया है | जिसका परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक जगत के लेखन में भी विषय परिवर्तन हुआ | भूमंडलीकरण के इस दौर में स्त्रियों से जुड़े प्रश्न कहीं सुलझते नजर आये तो कहीं सुलगते | भूमंडलीकरण ने एक ओर संसार को

एक गाँव बनाकर मनुष्यों के जीवन को सुलभ बना दिया तो दूसरी ओर स्त्री-शोषण के नए द्वार भी खोले हैं | स्त्रियों से जुड़े मुद्दों, स्थितियों, मजबूरियों तथा स्व से समाज तक की स्थितियों के साक्ष्य स्त्री-लेखन में प्राप्त होते हैं |कविता हो या फिर कथा साहित्य स्त्री रचनाकारों ने संसार के गतिशील परिवर्तनों को अपने साहित्य में रेखांकित किया है | जिनमें प्रमुख हैं- प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, रमा सिंह, वीणा सिन्हा, अलका सरावगी, चित्रा मुद्गल, रजनी गुप्ता, मधु कांकरिया आदि |

प्रभा खेतान जी ने भूमंडलीकरण पर बहुत काम किया है | उनका लेखन परत-दर-परत भूमंडलीकरण को परिभाषित करता है | इसका उपन्यास 'आओ पेपे घर चले' में भूमंडलीय संस्कृति का समाज पर हो रहे प्रभाव का पूरा दस्तावेज है | इस उपन्यास में अमेरीकी जीवन की विद्रूपताओं तथा अमेरिकी समाज में भारतीयों की अस्मिता की तलाश और जीवन संघर्ष के प्रश्न को केंद्र में रखा गया है| आर्थिक समृध्दि के लिए विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की भावनाओं को यहाँ रेखांकित किया गया है –"कुलमिलाकर चार दिन हुए हैं और मन में उकताहट हो रही है कि दिल करता है भारत लौट जाऊं| दिल बिलकुल उलटा हुआ था | यहाँ घर से दूर रात-दिन की मेहनत | ऐसा लग रहा था-मानो किसी ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया हो | मन रोने को कर रहा था |" [3] इस कथन से स्पष्ट है कि रात-दिन की इस मेहनत से व्यक्ति पैसा तो कमा पा रहा है परन्तु संतुष्टि व्यक्ति को प्राप्त नही हो रही है | इतने श्रम से कमाई हुई रोटी को भी खाने के लिए उसके पास समय नही है और यहीं स्थिति आज के जीवन का सच है |

भूमंडलीकरण के बाजारवाद के बारे में अनामिका जी लिखती हैं-"तैंतीस करोड़ देवताओं की बात खूब कहीं- देवताओं की सूची में नया देवता है-बाजार देवता? एक बार उसे सर नवां आएं| कुछ जरुरी खरीददारी करनी है|" [4]यहाँ स्पष्ट है कि आज की पीढ़ी का जीवन एक प्रकार का रोबोट होकर रह गया है |थैंक्स और सॉरी रटती इस नई पीढ़ी में जीवनमूल्यों के प्रति निरसता का आभास होता है | एक तरह से संगणक युग की यह वास्तविकता है कि इसने दुनिया को तो एक गाँव बना दिया पर अपनों की अपनेपन की भावना की मिटाया है |

'कलिकथा:वाया बाइपास' एक चर्चित उपन्यासहै | अलका सरावगी का यह उपन्यास पुरानी पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की सोच को रेखांकित करता है | किशोर बाबू एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने को तिल-तिल गलाकर पैसा कमाया और जोड़कर रखना अपना धर्म

---

[2]. www.pravakta.com/globalization-a-currant-assement

[3]प्रभा खेतान , आओ पेपे घर चले , पृ.सं.43

[4]अनामिका, तिनका तिनके पास, पृ.61

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

समझा है परन्तु अपने बेटे तथा बहु के खर्चे देखकर उन्हें लगता है कि "जिस तरह से नयी पीढ़ी जिस रूप से पैसा खर्च कर रही है, उससे इनका दिमाग सही नहीं लगता क्योंकि दिमाग रहने पर वे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते|" [5]यहाँ स्पष्ट है कि नई पीढ़ी 'लोन' और 'फाइनेस' पर जीती हुई ,अपने उपभोग की महंगी से महँगी वस्तुएं प्राप्त कर रही है और धीरे-धीरे उपभोक्तावादी प्रवृति के कारण कर्जदार

भी होती जा रही है | किशोर बाबू से उनके बेटे का कथन इस बात को स्पष्ट करता है- "पापा रूपये किसी से मांगने नहीं पड़े| आज कल सौ प्रतिशत फाइनेंस पर गाड़ी मिलती है | किश्तों में रक्कम चुका देंगे |"[6]इन पात्रों के माध्यम से उपभोक्तावाद की होड़ का भयानक सच सामने आया है | इस नई संस्कृति ने भारतीय उपभोक्ता का मिजाज पूरी तरह बदलकर रख दिया है | जिसके चलते किशोर बाबू का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज इससे ग्रसित है | महानगरों में बढती आबादी और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के पीछे भागते लोग इस उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रमाण हैं |

रजनी गुप्त का उपन्यास 'एक न एक दिन' नई पीढ़ी के पैसे कमाने की होड़ में वे मशीन बन रहे व्यक्तियों के जीवन-साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है | कॉपरेट जगत की दुनिया में बड़ी-बड़ी आय.टी की डिग्रियां लेकर बैठे बेरोजगारों का वर्णन किया गया है | मशीन बनती जिन्दगी का वर्णन करती लेखिका लिखती हैं-"कोई नहीं समझना चाहता हमारे तनावों को| ओफ! कितनी भगदड़ मची रहती है | हमारे अन्दर-बाहर? कभी-कभी लगता है मशीन में और हमारे में क्या फर्क रह गया है |" [7]इसके आलावा उपन्यास में जीवन की एक और विडंबना की ओर ध्यान दिया गया है वह है व्यक्ति कैसे इस व्यस्त जीवन में अपने शिशुओं की ओर भी ध्यान नही दे पा रहा है | जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपने माता-पिता से भावात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं | कहीं जगह पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे परिवारों के पास पैसा तो बहुत होता है परन्तु एक अकेलापन भी होता है जिसे बांटने के लिए उनका अपना कोई नहीं होता | एक तरह से देखा जाये तो यह 'अकेलापन' भूमंडलीकरन की देन है |

इस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में 'आँवा' उपन्यास का अध्ययन किया जा सकता है| इस उपन्यास में चित्रा मुद्गल जी ने विज्ञापन जगत में माँडलिंग के व्यवसाय की विवशताओं का चित्रण किया है | नमिता एक मध्यवर्गीय परिवार से है, जो इस क्षेत्र के लोगों के शोषण का शिकार बनती है | उसके अपने निजी विचारों को परिभाषित करते हुए उसे समझाया जाता है कि "बीसवीं शताब्दी में तुम अठारहवीं का नमूना हो | देह की अनुपातिकता में कहीं कोई कमी हो तो उसे दूर कर लेने में कैसी अश्लीनता? पैडिड का इस्तेमाल करते ही तुम अनोखी मांसलता की फुरफुरी को रोम-रोम में महसूस कर सकोगी,कि उन्नत वक्ष तुम्हारी चमत्कारी व्यक्तित्व को चमत्कारी

[5]अलका सरावगी, कलिकथा: वाया बाइपास, पृ.83
[6]वही ,पृ.198
[7]. रजनी गुप्त, एक न एक दिन, पृ.320-321

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

आत्मदृढता दे रहे हैं | मत भूलों, औरत के अस्तित्व का तिलिस्म उसकी देह से उपजता है |" [8]स्त्री के संकोच करने वाले स्वाभाविक स्वभाव को पुरानी सोच कहा जाता है | इस भूमंडलीकरण के दौर में व्यक्ति कपड़ों और रहन-सहन से तो उत्तर आधुनिक हो रहा है परन्तु विचारधारा का विकास सही क्रम में जाता नजर नही आ रहा है | इस तरह की स्थितियों का सटीक चित्रण 'आँवा' उपन्यास में देख सकतेहैं |

'दस द्वारे का पिंजरा' तथा 'तिनका तिनके पास' यह दोनों उपन्यास पाठक वर्ग में काफी चर्चा में रहा है | दोनों की मूल कथा-भूमि स्त्री-विमर्श रहा है | उपन्यास की कथावस्तु में नए समाज में नई पीढ़ी को नई सोच की स्त्री पराजित कराती हैं | इस उपन्यासों में घटनाओं की पुनर्रावर्ति हुई है परंतु फिर भी भारतीय समाज में स्त्री को लेकर जो चिताएँ, टूटन, दाम्पत्य संबंधों में भी बलात्कार की स्थिति, सहजीवन, बाजारवाद, दलित जीवन की समस्याएँ , विदेशों में काले-गोरे का रंगभेद आदि ऐसी अनेक समस्याओं को चित्रित किया गया है | घटनाओं की बहुलता ही विषय-विविधता को विस्तृत करती है | इसी तरह मधु कांकरिया जी का उपन्यास 'सेज पर संस्कृत' भी जैन साध्वियों के जीवन के अंतर्बाह्य में झांकता हुआ, ऐसे अनेक सामाजिक तथा स्त्री अस्मिता से जुड़े प्रश्नों को उठता है | जैन धर्म तथा इस समाज की आतंरिक विसंगतियों की व्याख्या करते हुए लेखिका यह बताती हैं कि किस प्रकार महावीर जी ने निर्वाण के 943 वर्षों बाद जैन धर्म की आचार-संहिताएँ लिखकर धर्म की मनमानी व्याख्या की गई | इस उपन्यास संघमित्रा और छुटकी प्रमुख पात्र हैं जो पाठकों के मश्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाती हैं |

उपर्युक्त उपन्यासों के आलावा जयंती का 'खानाबदोश ख्वाहिशें', ममता कालिया का 'अँधेरे का ताला' तथा 'दुख्यम सुख्यम; , मृदुला गर्ग का 'मिलजुल मन' आदि भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हैं | जिनको पढ़कर यह निश्चित कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास ने भूमंडलीकरण की उपभोक्तावादी और बाजारवादी प्रवृतियों का सूक्ष्म चित्रण कर सांस्कृतिक संक्रमण के समय अपनी सार्थक सोच से साहित्यिक स्तर पर एक बड़ा काम किया है और इसमें स्त्री रचनाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है |

[8]चित्रा मुद्गल, आँवा, पृ.217

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXXIII – January - 2018
Article ID # 34012019
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

किसान फसल बीमा योजना को और ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत

संजय, लुदेसर, सिरसा

Email id: sanjaybirt797@gmail.com

मोबाइलः 09991993003

प्राय सरकार के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदा आदि से बचाने और उसके नुक्सान की भरपाई करने के लिये किसान फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई। अगर हम देश के मौसम की बात करे तो यह बड़ा प्रवृतनशील है। देश में प्राय अनेक प्राकृतिक आपदायें समय–समय पर आती रहती है। जिसका नुक्सान प्राय किसान को मुख्तय उठाना पड़ता है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि प्राय किसान की लगभग एक चौथाई फसल मंडी में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है और किसान की आय पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। यह हाल ना केवल पूरे देश का है वरन हरियाणा भी प्राय इससे अछूता नहीं है।

जरूरत है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से ना केवल जितना हो सके उनसे बचाया जाये वरन इसके साथ ही अगर यह प्राकृतिक आपदा आ भी जाये ंतो प्राय किसान की भरपाई आर्थिक रूप से की जाये और उसका प्राय दर्द बांटा जाये। जब तक प्राय ऐसा नहीं होगा किसान उन्नति नहीं करेगा। इसके साथ ही प्राय किसान का कितना आर्थिक नुक्सान प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है और उसको नापने का प्राय कोई सही आर्थिक पैमाना नहीं है क्योंकि प्राय देश में और हरियाणा में अलग– अलग प्रकार की मिट्टी है और इसके साथ ही अलग प्रकार के प्राय खेती करने के तरीकें है। इसलिये प्राय यह कैसे संभव हो सकता है सभी किसानों को एक जैसा मुआवजा या आर्थिक सहायता प्राकृतिक आपदा की दे दी जायें। इसके साथ ही यह कैसे संभव है कि प्राय अधिकारी किसान के खेत में एक मिनट आकर उसके नुक्सान का आंकलन कर ले।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

जरूरत है कि किसानों की जो फसल बीमा योजना बैंकों के माध्यम से सरकार ने आरंभ की है उसको और योजनाबद्ध और वैज्ञानिक बनाया जाये ताकि किसानों को ना केवल आर्थिक सहायता सही मिल सके वरन इसके साथ ही उनका आर्थिक विकास भी हो सके और किसान के आर्थिक नुक्सान की भरपाई भी सही समय पर हो सके और किसान में निराशा का भाव भी पैदा ना हो। इसके साथ ही प्राय जो किसान से फसल बीमा योजना के नाम पर एक राशि ली जाती है तो उसको भी तर्कसंगत तथा वैज्ञानिक और सही बनाने की जरूरत है। क्योंकि प्राय किसान आर्थिक रूप से पहले ही कमजोर होता है और उसकी माली हालात देश में पहले से ही खराब है तो उसके पास ना तो इतना पैसा होता है कि वह अपनी फसल का बीमा करवा सके और जब प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से फसल बर्बाद होती है तो वह प्राय मानसिक व आर्थिक आधार पर टूट जाता है।

सरकार को चाहिये कि वह किसान को इससे बचायें और उसे आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करे। इसलिये सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिये कि फसल बीमा में एक बड़ा हिस्सा प्राय सरकार की तरफ से दिया जाये ताकि किसान पर भी आर्थिक बोझ ना पड़े।

इसी से प्राय किसान फसल बीमा योजना और ज्यादा व्यापक और किसान हितैषी बन सकेगी। क्योंकि अगर हम विश्व के अन्य देशों में देखे तो हम साफ पाते है कि सरकार खासकर यूरोपीय देशों में इस प्रकार के कदम काफी लंबे समय से उठा रही है। अगर भारत में भी प्राय इस प्रकार के कदम किसानों के लिये उठा लिये गये तो प्राय किसान उन्नति करेगा और अगर किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि इसको सभी हम मानते है और अच्छी तरह से जानते है कि भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मौसम पर निर्भर करती है और भारत में जो मौसम है वह बड़ा परिवर्तनशील है।

इसलिये भारत में खेती करना भी एक रिस्क का कार्य है और उस पर जब किसान को यह कहां जाये कि वह फसल बीमा योजना करवा ले तो यह कैसे संभव होगा। इसी के साथ ही यह भी सभी को पता है कि भारत में प्राय किसानों की हालात बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

भारत में फसल बीमा योजना की बात करे तो हम साफ पाते है कि यह योजना देश में सबसे पहले1999–2000 में आरंभ की गई जो कि पूरे विश्व के मुकाबले बहुत लेट थी।

अगर हम सन 2000 की बात करे तो हम साफ पाते है कि इस योजना के तहत 10 प्रतिशत किसानों ने बीमा उस समय नहीं करवाया था। क्योंकि देश में किसानों की आर्थिक स्थिति और जानकारी दोनों ही दयनीय है। इसलिये जरूरत है कि सरकार इस योजना में बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तरफ से डाले और किसानों को को भी इस योजना के प्रति जागरूक करे। इसके साथ ही सरकार इस योजना को और ज्यादा लचीला बनायें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों और खेती करने वाले का भला हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. Dandekar. V. M. (1976), "Crop Insurance in India", Economic and Political Weekly.
2. Directorate of Economics and Statistics Department, Government of Karnataka, 2003.
3. Jennifer Ifft(2001), "Government V/S Weather: The True Story of Crop Insurance in India", Centre for Civil Society.
4. Lunawat, M.L. (1998), "Risk Management in Agricultural Insurance", The Insurance Times, Vol. No. XVIII .
5. Manojkumar B. & Ajitkumar G. S. (2003), "Crop Insurance Scheme: A Case Study of Banana Farmers in Wayanand District", Discussion Paper no. 54, Kerala Researh Program on Local Level development, Centre for Development Studies, Thiruananthpuram.
6. Raju, S.S. & Chand, Ramesh (2007), "Progress and Problems in Agricultural Insurance", Economic and Political Weekly, May 26.
7. Raju, S.S. & Chand, Ramesh (2008), "Agricultural Insurance in India Problems and Prospects", National Centre for Agricultural and Policy Research, New Delhi, March.
8. Raju, S.S. & Chand, Ramesh (2008), "A Study of the Performance of National Agricultural Insurance Scheme and Suggestions to make it more effective", Agricultural Economics Research Review, Volume-21, January- June, pp. 11-19.
9. Ray, P.K.(1981), "Crop insurance in India: Major Policy Issues", Crop Insurance in India, Dept. of Economics, Sardar patel University, Gujrat.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)